DIRECTORATE GENERAL OF HOME GUARDS

BASIC TRAINING PRECIS

FOR

HOME GUARDS

CENTRAL TRAINING INSTITUTE

RAJA GARDEN

NEW DELHI-110027

1. DELHI HOME GUARDS

1.1 DELHI HOME GUARDS

During world war-II, 'Home Guards'- a voluntary citizen organization for local defence was raised in the united kingdom. In India, on Dec 6, 1946, Home Guards were raised in Bombay (now Mumbai) to assist the police in controlling Civil Disturbances and communal riots. Subsequently, this concept of a voluntary citizen's force as auxiliary to the Police for maintenance of law and order and for meeting the emergencies like floods, fires, famines, etc. was adopted by several other states. In the wake of Chinese aggression in 1962, the centre advised the states and union territories to merge their existing voluntary organizations into one all India force known as "Home Guards" which would be voluntary both in concept and character.

The "Delhi Home Guards" has been raised under the Bombay Home Guards Act, 1947 as extended to GNCT of Delhi (UT) in 1959 (Annex-I). The Delhi Home Guards Rules were framed in 1959 (Annex-II).

The present sanctioned strength of Delhi Home Guards is 10,285 including women Home Guards. The actual strength varies from time to time due to discharge and enrolments.

1.2 OFFICIAL HIERARCHY

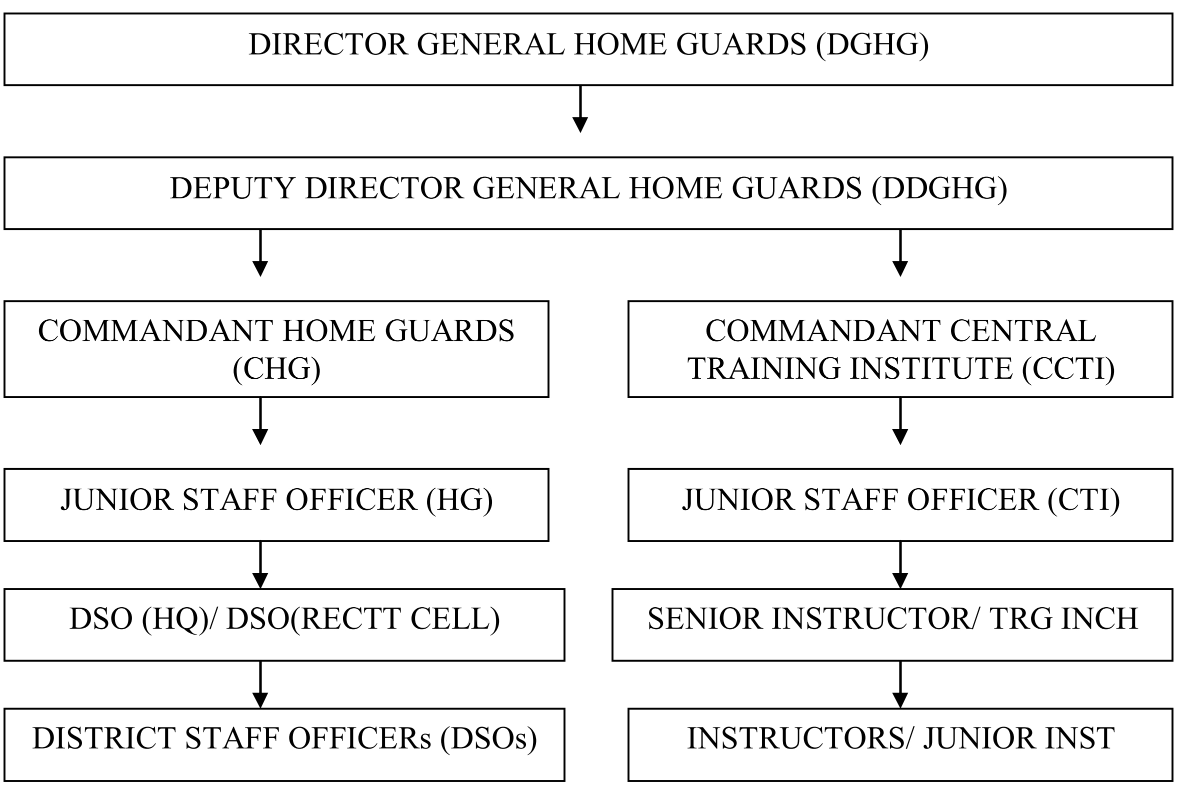

1.3 DELHI HOME GUARD HIERARCHY (Volunteers)

District Commandant
↓
Company Commander
↓
Senior Platoon Commander
↓
Platoon Commander
↓
Platoon Havildar
↓
Section Leader
↓
Assistant Section Leader
↓
Home Guard Jawan

1.4 ROLE OF HOME GUARDS

1. To serve as an auxiliary to the Police and to assist in maintaining internal security.
2. To assist the community in any kind of emergency like air-raid, fire, flood, epidemic and so on.
3. To organise functional units to provide essential services such as Motor Transport Unit, Fire Fighting and Engineering Groups, Pioneer Services, Nursing and First-Aid, Operation of water supply establishments, etc.
4. To promote communal harmony and to give assistance to the administration in protecting the weaker sections of the society.
5. To participate in socio-economic and welfare activities such as Adult Education, health and hygiene, development schemes and such other tasks as are deemed useful.

1.5 CIVIL DEFENCE DUTIES OF HOME GUARDS

1. Incident control and Reconnaissance Parties (to the extent possible)
2. Rescue parties
3. Trailor pump parties
4. Mobile canteens
5. Part-time instructors

1.6 HOME GUARD ESTABLISHMENT

1.6.1 Centre Level: The Director General Civil Defence in the Ministry of Home Affairs is responsible for all policy matters concerning raising, training and equipping of Home Guards in the country.

1.6.2 State/ Union Territory Level:

Director General Home Guards/ Commandant General Home Guards is the controlling authority at state level. He is supported by various officers like deputy commandant general, commandant, senior staff officer, junior staff officers etc.

1.6.3 Division/ District Level:

Divisional Commandant/ District Commandant/ District Staff Officer is the controlling authority for execution of the various tasks of home guards.

1.6.4 City/ Town/ Company Level:

Company Commander is the controlling authority for execution of the various tasks by home guard jawans.

1.7 CENTRAL TRAINING INSTITUTE

Central Training Institute for Delhi Home Guards is situated at Latitude 28°65’ and Longitude 77°12’ at Nishkam Sewa Bhawan CTI Complex, Raja Garden, New Delhi – 110027. Presently, CTI caters to the training needs of both Home Guards and Civil Defence volunteers in Delhi.

1.7.1 Infrastructure Available:

1. 15 well furnished classrooms with air conditioners, Training Chairs, Computer, Projector, white board Smart Board, Collar mike etc each having seating capacity of 60.
2. Model Rooms on communication, IEDs.
3. 7 Lane Fire Arms Training Simulator
4. 8 Acres of Parade Ground Area
5. 4 Acres of Administrative Block
6. Sports facilities are provided for staff and volunteers,
7. A multipurpose hall having seating capacity of 300 is available with modern equipments for audio visual presentations/lectures and other programmes
8. Officer’s Mess with hostel rooms available for visiting faculty/ officers.

1.7.2 Training/ Courses conducted at CTI:

1. Basic Training for home guards for 36 Days.
2. Advance Training/ courses for home guards and civil defence as follows:

   (i) Disaster Preparedness Course
   (ii) Flood Disaster Preparedness Course
   (iii) Earthquake Disaster Preparedness Course
   (iv) Self Defence Course
   (v) NBC Disaster Preparedness Course

(vi) Search & Rescue Course
(vii) Fire-Fighting Course
(viii) Communication Course
(ix) Basic Telecommunication Course
(x) Part Time Instructor Course
(xi) Basic Computer Course
(xii) Training For Drivers
(xiii) Basic Pipe Band Training
(xiv) Basic Brass Band Training
(xv) Refresher Training On Pipe Band
(xvi) Refrsher Training On Brass Band
(xvii) Certificate Course On First-Aid
(xviii) Home Nursing Course On First-Aid
(xix) Junior Leadership
(xx) Basic Leadership
(xxi) Advance Leadership

1.7.3 Training/ Courses conducted at NCDC, Nagpur:

(i) Civil Defence Instructors Emergency Operations Centre Management
(ii) Earthquake Disaster Response
(iii) Civil Defence & Disaster Management
(iv) Biological Incident First Responders
(v) Communication for CD Trainers
(vi) TOT in Disaster Psycho-Social Intervention
(vii) Incident Command Management System
(viii) Unexploded Bombs and Explosive Safety
(ix) Flood / Cyclone Disaster Responders
(x) Collapsed Structure Search and Location
(xi) TOT on Radiological & Nuclear Emergencies
(xii) Industrial Disaster Management
(xiii) Chemical Disaster First Responders
(xiv) Medical Operations against WMD for Doctors
(xv) Emergency Response to Rail Transport Accidents
(xvi) Advance Search & Rescue
(xvii) Basic Life Support (BLS)
(xviii) Auxiliary Fire Fighting
(xix) Disaster Management Program for Senior Executives from Govt. & Industries
(xx) Community Disaster Preparedness for CD Wardens

1.7.4 Training/ Courses conducted at CTI, Bangalore:

(i) All India Waterman ship Course in the Month of May & September

1.8 ENROLMENT OF HOME GUARDS

All candidates must fulfill the following criterion to become a member of the Home Guards organization:

(i) Age: 20yrs – 47yrs for men and 20yrs – 42yrs for women.
(ii) Educational qualification: 10th Pass.
(iii) Height: Minimum 165 cm for men and 150 cm for women.
(iv) Must be a resident of Delhi.
(v) Should not be an Ex or discharged Home Guard Volunteer.

1.9 UNIFORMS FOR HOME GUARDS

Sl No	**Items of Uniform**	**Life Span**
1	Shirt Khaki Terrycot	4 years
2	Trousers Khaki Terrycot	4 years
3	Belt – Web	2 years
4	Socks Woollen	1 year
5	Boots Ankle Black	2 years
6	Cap Barret	1 year
7	Shoulder Titles	3 years
8	Cap Badge	3 years
9	Whistle	3 years
10	Lanyard	2 years
11	Turban (for Sikhs only)	2 years
12	Angola Shirt	6 years
13	Jersey	6 years

1.10 RANK AND BADGES FOR HOME GUARD ORGANIZATIONS

Star Plates:

Sl No	Rank	Star Plate on Vehicle
1	Director General	Three white Stars on a black plate
2	Commandant General	Two white stars on a black plate
3	Deputy Commandant General	One white star on black plate

Logo and Flag: The logo and the flag of the home guard organization are of Black in colour.

1.11 ALLOWANCES TO HOME GUARDS

The present rate of allowances to Home Guard Volunteers is as under:-

S.NO	Type of Duties	Daily Allowance	Transport Allowance (beyond 8Kms.)	Washing Allowance (per month)
1.	Full Duty	Rs.285/-	Rs. 25/-	Rs.25.00
2.	Training	Rs. 45/-	Rs. 25/-	-
3.	Parade (upto two and half hours)	Rs. 22.50	Rs. 25/-	-

1.12 HOME GUARDS' WELFARE

1.12.1 Compensation for Death during Training/ Duty:

Home Guard volunteer is paid Rs 5Lac as compensation for death during training/ duty.

1.12.2 Funeral Expences:

Ex-gratia grant for funeral expences of deceased home guard is Rs 1000 per individual.

1.12.3 Group Insurance:

Home Guard Volunteers are covered under the Group Personnel Insurance Policy and are insured for Rs.2 lacs each. The group insurance is optional. Policy covers 80% of the sum insured under personal accident and 20% under hospitalisation expenses due to accident.

1.12.4 Home Guards' Welfare and Benevolent Fund:

The Home Guard Volunteers may pay subscription to the Home Guards Welfare and Benevolent Fund at the rate approved by the Government of NCT of Delhi. The payment from the fund is made to the home guards and their family for any major/ minor injuries or death.

2. DELHI CIVIL DEFENCE

2.1 CIVIL DEFENCE

'Civil Defence' includes any measures, not amounting to actual combat, for affording protection to any person, property, place or thing in India or any part of the territory thereof against any hostile attack, whether from air, land, sea and other places, or for depriving any such attack of the whole or part of its effect, whether such measures are taken before, during, at or after the time of such attack.

Civil Defence Corps has been formed under the Civil Defence Act 1968 in Delhi with the aim and object of creating a corpus of volunteers to work in tandem with other government agencies in disaster management, external aggression and natural as well as man-made disasters. The overall control of Civil Defence lies with the Controller, Civil Defence, Delhi under the guidance and directions of the Director, Civil Defence, Delhi.

The Controller is assisted by the Group Controllers, Zonal Controllers, Instructors (Civil Defence) and Voluntary Rank Holders like Chief Wardens, Divisional Wardens, Post Wardens, Sector Wardens, etc.

The civil defence creates awareness among common people about disaster hazards so that the community is in a state of preparedness to cope up with disasters. The Civil Defence corps has done exemplary works during the 1971 war and also during other natural calamities or disasters in Delhi.

2.2 AIMS AND OBJECTIVES OF CIVIL DEFENCE

The Civil Defence Organization is a second line of Defence and a social/welfare service agency during war-time and provides soccur to affected persons/areas in calamities and disasters and during major accidents, communal upheaval, etc. In peacetime, its aims and objectives are:

1. to protect human life and property from air-raid.
2. to maintain continuity of production
3. to keep up the morale of public

2.3 CIVIL DEFENCE SERVICES

In war-time services like air-raid warning, black-out, rescue, fire fighting, first-aid, relief work, etc. are taken up by the Civil Defence Corps. In peace-time, during disasters, calamities and the likes, Civil Defence Corps provide rescue services, house fire parties, first-aid, communication, welfare measures, relief work, transport, training and mobilization of local help etc. They also perform numerous other social and welfare activities.

Civil Defence exercise-cum-demonstrations are held in various localities to educate and motivate members of public in civil Defence measures.

3. FIRE FIGHTING

3.1 FIRE (आग)

Fire is Combustion or burning, in which substances combine chemically with oxygen from the air and typically give out bright light, heat, and smoke.

आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। आग लगने पर उसमें गर्मी, प्रकाश तथा लपटें उत्पन्न होती हैं।

3.2 CAUSES OF FIRE (आग लगने के कारण):

आग लगने के निम्न लिखित कारण हैं:

1. अज्ञानता
2. लापरवाही
3. असावधानी
4. अशिक्षा
5. दुर्घटना
6. दुश्मनी
7. बिजली गिरना
8. घर्षण
9. गोबर गैस
10. आतिशबाजी

3.3 FIRE TRIANGLE

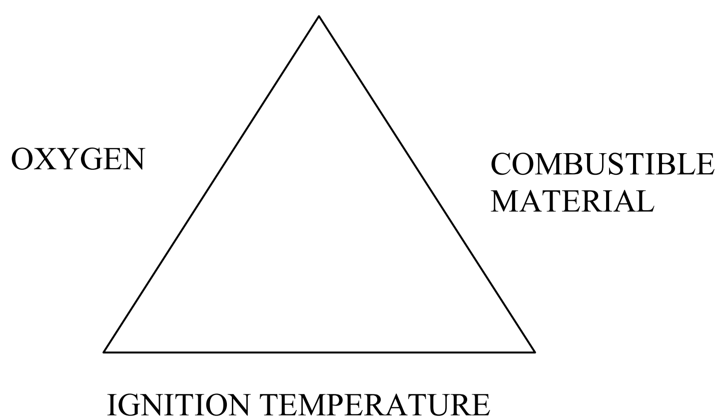

3.4 COMPOSITION OF AIR

78%	:	NITROGEN
20%	:	OXYGEN
2%	:	OTHER GASES AND VAPOURS

3.5 MODES OF SPREADING OF FIRE (आग फैलने के कारण)

1. **Conduction (चालन):** (गर्म धातु द्वारा आग का लगना):– धातु में आसानी से आग नहीं लगती परन्तु इसके पास पड़ी हुई ज्वलनशील सामग्री में आग लग जाती है। हालांकि सामग्री और आग के स्त्रोत के बीच अंतर होता है। इसे रोकने के लिए आग बुझा देनी चाहिए या ज्वलनशील सामग्री हटा देनी चाहिए।
2. **Convection (संवहन):** जब कोई तरल पदार्थ या गैस गर्म होकर अपना स्थान छोड़ दे और अन्य ज्वलनशील सामग्री को अपनी गर्मी दे दे तो आग लग सकती है।
3. **Radiation (विकरण):** हवा को गर्म किए बिना आग के स्त्रोत से गर्म होने को विकरण कहते है। उदाहरणार्थ चिमनी से गर्म गैसें उठ रही हों और उसके सम्पर्क में कागज आ जाए तो झुलस जाएगा या विकरण से तात्पर्य उन ताप किरणों से जो आकाश मार्ग से चलती हैं और तब तक चलती है जब तक उन्हें कोई वस्तु ग्रहण न कर ले । ऐसा होने पर आग फैलने का कारण बन सकता है।
4. **Direct Burning (सीधे आग लगना):–** यदि किसी वस्तु में आग लग जाए तो उसके सम्पर्क में आने वाली वस्तुऐं धीरे–धीरे अपने आप जलने लग जाती हैं। यही क्रिया आग फैलने का कारण बन जाती है।

3.6 TYPES OF FIRE (आग का वर्गीकरण)

1. **Class-A (ठोस आग):–** इसमें साधारण जलने वाली वस्तुएं जैसेः– लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा इत्यादि हैं।इस प्रकार की आग को कार्बोनेशियस आग भी कहते है।क्योंकि इन वस्तुओं के जलने के बाद कार्बन (राख) बच जाती है। इस प्रकार की आग को ठण्ड़ा करके बुझाया जा सकता है। तथा इसमें वाटर टाईप रासायनिक अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है ।
2. **Class-B (तेलीय आग) :–** इसको तरल पदार्थ की आग भी कहते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसेः– तेल, ओर्गेनिक साल्वेन्ट, पेट्रोलियम पदार्थ, वार्निश, पेन्ट आदि बी क्लास आग के उदाहरण हैं। इस तरह की आग को बुझाने के लिए स्मूथरिंग एवं ब्लैन्केटिंग का तरीका बहुत ही उपयुक्त है इसके लिए ड्राई कैमीकल पाउडर भी प्रयोग किया जाता है।
3. **Class-C (गैसीय आग):–** इसे गैस फायर भी कहते है। ज्वलनशील गैसीय पदार्थ जैसेः– मीथेन, हाईड्रोजिन, एसीटेलीन, कोल गैस, प्रोपेन, यूटेन, कुकिंग गैस (एल0 पी0 जी0) इत्यादि में लगी आग को गैसीय आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए जलने वाली गैसों को तरल (डाइल्यूट) करना बहुत आवश्यक है अतः इस पर ड्राई कैमीकल पाउडर व सी. ओ. टू. गैस का प्रयोग किया जाता है।
4. **Class-D (धातु आग) :–**इस प्रकार की आग को मैटल फायर भी कहते हैं। धातु जैसेः– मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि डी क्लास के उदाहरण हैं। इस तरह की आग बुझाने के लिए ड्राई कैमीकल पाउडर विशेषकर प्रयोग किया जाता है ।

3.7 METHODS OF FIRE EXTINCTION (आग बुझाने की विधियाँ)

आग तीन चीजों के मिलने से बनती है यदि तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है आग बुझाने की निम्नलिखित विधियाँ है।

1. **(Cooling) प्रशीतन (ठण्डा करना):–** प्रशीतन से अभिप्राय है जलती हुई सामग्री का तापमान उसके प्रज्जवलन बिन्दु से कम करना। सामान्यतः यह कार्य पानी से किया जा सकता है यदि आग पर पानी डाल दिया जाए तो आग की गर्मी कम हो जाएगी। यदि लगातार पानी का इस्तेमाल किया जाऐ तो उसका तापमान उसके प्रज्जवलन बिन्दु से नीचे आकर कम होता जाता है और आग बुझ जाती है।
2. **(Smothering/ Blanketing) वायुरोधन (गला घोंटना):–** वायुरोधन से अभिप्राय है ऑक्सीजन **(हवा)** की आपूर्ति को रोकना । इसे ढांपने की विधि भी कहते हैं। यदि जलती हुई सामग्री पर रेत, सूखी मिट्टी, झाग, कंबल आदि ढ़क दें तो आक्सीजन आने का रास्ता बन्द हो जाएगा और आग बुझ जायेगी।
3. **(Starvation) भुखा मारना (वंचित करना):–** जहां आग लगी है उस स्थान से ज्वलनशील सामग्री को हटाना। ऐसा करने से आग को ईधंन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। उदाहरणार्थः जिस कमरे में आग लगी है वहां से बिना जली सामग्री को हटाना।

3.8 STIRRUP PUMP

3.8.1 Definition: A hand-operated vertical reciprocating pump, such as one used in fire-fighting, etc., in which the base of the cylinder is placed in a bucket of water.

The Stirrup Pump is an excellent piece of first aid fire fighting equipment essentially designed for use on small fires. It is capable of making very effective use of limited water supplies. The Pump would prove to be very usefull in localizing and controlling fire.

3.8.2 Construction: The pump is of very simple construction. There are only three moving parts viz.

- The plunger tube to the bottom of which is fitted the piston.
- The metal ball which acts as the non-return valve in the piston.
- The metal ball which act as the foot valve in the metal strainer of the base of the barrel.

The pump is provided with not less than 8 meter (26 feet) length of half inch bore rubber tube to which a dual purpose nozzle is fitted for getting a jet or spray by working its slide. With 45 double strokes per minute and the nozzle held horizontally at a height of 1.5 meter (about 5 feet) from the ground, the jet will hit the ground at a horizontal distance of not less than 9 meter (29 ½ feet) from the nozzle. Water consumption of water will be about 6-7 lites per minute. If spray is used the range of fine spray will be about 12 to20 feet, water consumption 3 litres per minute.

3.9 HOUSE FIRE PARTY

एक हजार की आबादी पर एक हाउस फायर पार्टी होती है। जिसमें चार सदस्य होते है ।

1. Leader (लीड़र)
2. Pump oprater (पम्प ले जाने वाला)
3. Messanger (संदेश देने वाला)
4. Water Man (पानी की पूर्ति करने वाला या बाल्टी ले जाने वाला)

नोटः– अगर पंप आपरेटर पम्प चलाते हुए थक जाता है तो संदेशवाहक, पम्प ऑपरेटर का कार्य करेगा और पम्प ऑपरेटर, संदेशवाहक का कार्य करेगा।

3.10 FIRE PRECAUTIONS (आग के प्रति सावधानियाँ)

आग से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ अपनानी चाहिएं।

1. घर में कभी तीव्र ज्वलनशील पदार्थों का भण्डार रसोई में नहीं रखना चााहिये। उनको हमेशा सुरक्षित बर्तन में रखना चाहिए।
2. घरों की छतों पर कभी भी किसी भी प्रकार का फालतू सामान 'कूड़ाकरकट' नहीं रखना चाहिए।
3. आग के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए ।

3.11 FIRE SAFETY- DOs & DON'Ts (आग से बचने के उपाय)

यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो उससे अपने आप को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. आग लगने पर अपना संतुलन बनाये रखना चाहिये तथा तुरन्त उसको बुझाने के उपाय सोचने चाहिएं।
2. यदि आग अपने या किसी के कपड़ों में लग जाये तो उसके लिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्यक्ति जमीन पर लोट–पोट हो जाये, भागे नहीं और यदि पानी आसानी से उपलब्ध हो तो जले हुऐ भाग पर पानी डाले और तब तक डाले जब तक जलन कम न हो जाये।
3. यदि पहली मंजिल में आग लग जाये और आप उसमें फंस जायें तो तुरन्त कमरे का दरवाजा बन्द करें और खिड़की में चढ़कर हाथ से खिड़की की मुंडेर पकड़ कर पैर लटकाते हुए जमीन पर कूद जायें।
4. यदि आप दूसरी या तीसरी मंजिल पर हों तो उसके लिये तुरन्त दरवाजा बंद कर चादर तौलियों को आपस में बांध कर उसकी सहायता से खिड़की की तरफ से लटककर नीचे उतर जायें।
5. चौथी या उससे ज्यादा मंजिल वाली इमारतों में उपरोक्त कोई भी विधि नहीं अपनानी चाहिए। बल्कि उसके लिये तुरन्त दरवाजा बन्द करके उसके सुराखों को गीले कपड़े से बन्द कर एक मोटा गीला कपड़ा अपने मुंह में भी लगाये और खिड़की में बैठ कर चिल्ला कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें ताकि वे आपकी मदद कर सकें।

3.12 FIRE EXTINGUISHER

A **fire extinguisher** is an active fire protection device used to extinguish or control small fires, often in emergency situations. It is not intended for use on an out-of-control fire, such as one which has reached the ceiling, endangers the user (i.e., no escape route, smoke, explosion hazard, etc.), or otherwise requires the expertise of a fire department. Typically, a fire extinguisher consists of a hand-held cylindrical pressure vessel containing an agent which can be discharged to extinguish a fire.

The first fire extinguisher of which there is any record was patented in England in 1723 by Ambrose Godfrey, a celebrated chemist. The modern fire extinguisher was invented by British Captain George William Manby in 1818; it consisted of a copper vessel of 3 gallons (13.6 liters) of pearl ash (potassium carbonate) solution contained within compressed air.

3.13 TYPES OF FIRE EXTINGUISHER

1. A Class Fire (SOLID FIRE): WATER STORED PRESSURE & SODA ACID
2. B Class Fire (OIL FIRE): FOAM (CHEMICAL & MECHNICAL FOAM), D.C.P
3. C. CLASS FIRE (GAS FIRE): CO2, D.C.P
4. D CLASS FIRE (METAL FIRE): D.C.P

3.14 DRY CHEMICAL POWDER (DCP)

1. OUTER CONTAINER: Sodiam Bi-carbonate
2. CO2 GAS CARTRIDGE: 120 grams.
3. USE: Used in all types of Fires.(Specially in Class"D"-Metal Fires)
4. HYDRAULIC TEST: 25 kg/cm^2 every 3 years
5. CAPACITY: 1 kg. to 13.5 kg

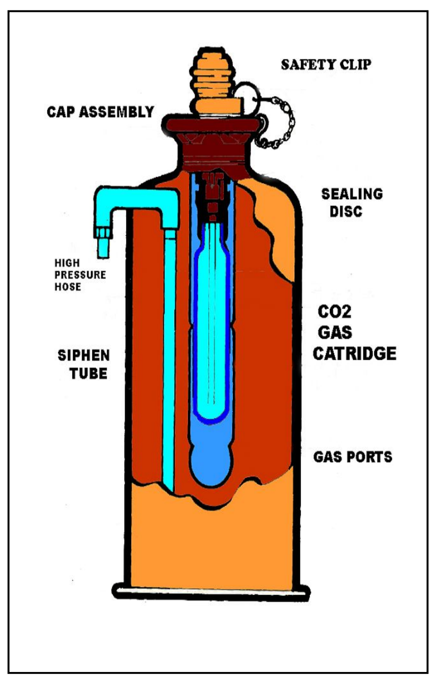

3.15 CARBON DI-OXIDE EXTINGUISHER (CO2)

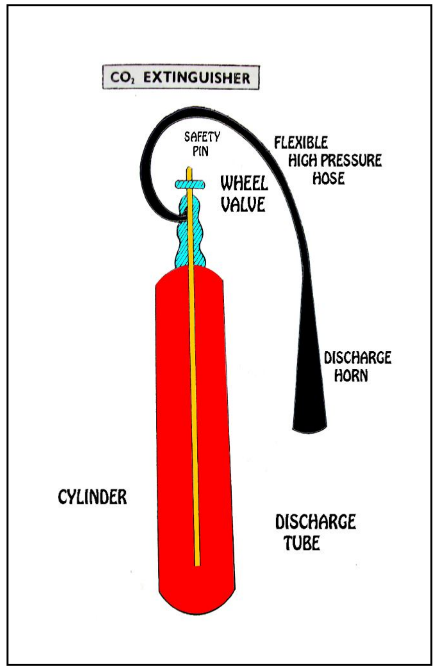

1. USE: On "B" CLASS, "C" CLASS Fires and "ELECTRIC EQUIPMENTS"
2. CAPACITY: 1, 2, 5 & 10 KG
3. THROW: 8 TO 15 FEET
4. GAS PRESSURE: 744 Lbs/Inch^2
5. HYDRAULICE TEST: 235 Kg/cm^2

3.16 WATER (GAS CARTRIDGE) EXTINGUISHER

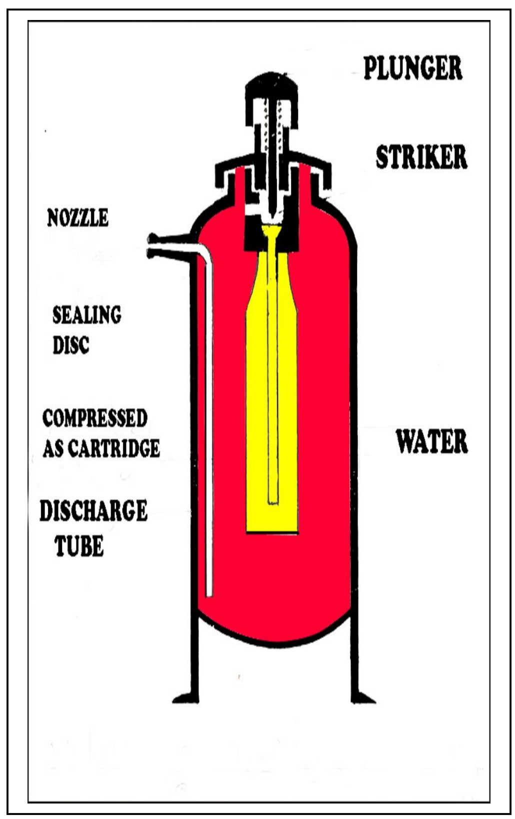

1. CAP ASSEMBLY
   (i) SAFETY CLIP
   (ii) PLUNGER
   (iii) SEALING DISC
2. OUTER CONTAINER
   (i) DISCHARGE TUBE
   (ii) NOZZLE
3. GAS CARTRIDGE: CO_2 (57 grams)
4. INTERNAL PRESSURE: 35 BARS(Max)
5. USE: Used on A CLASS FIRE
6. CAPACITY: 9 LITRES
7. CHEMICAL USED: NIL
8. CHEMICAL ACTION: NIL
9. EXPELLING AGENT: CO_2 GAS
10. EXTINGUISING MEDIA: WATER
11. HYDRAULIC TEST: 25 kg/cm^2 every 3 years
12. SAFETY DEVICE: VENT HOLE

3.17 WATER (STORED PRESSURE) EXTINGUISHER

1. BRASS SCREWED CAP WITH PRESSURE GAUGE.
2. SQUEEZE GRIP RELEASE HANDLE
3. OUTER CONTAINER
4. USE: Used on A CLASS FIRE
5. CAPACITY: 9 LITTERS
6. CHEMICAL ACTION: DRY AIR UNDER PRESSURE
7. HYDRAULIC TEST: 25 kg/cm^2 every 2 years
8. AIR GAS PRESSURE: 150 $Lbs/Inch^2$

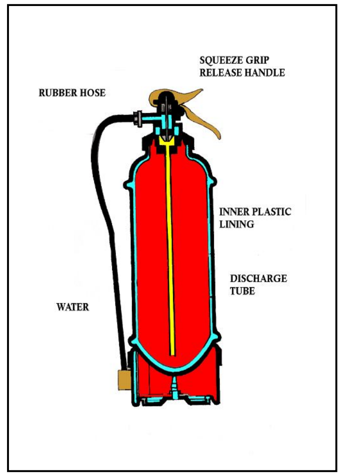

3.18 Advantages of Fire Extinguishers:

1. Easy to operate and quick in action.
2. Needs only one man to operate and can be carried to another place.
3. Very useful in the initial stages of a fire. Cheap to maintain.

3.19 Dis-advantages of Fire Extinguishers:

1. The use is limited as the duration of the working of the extinguisher is approximately 06 Seconds to 120 Seconds
2. The low income group house holders cannot afford to provide them in their houses.
3. These extinguisher require constant care and careful maintenance which a common man may forget.

3.20 PREVENTION OF FIRE ACCEDENTS/ INCIDENTS

1. Removal of inflamable material from the buildings especially the top floor and roof spaces.
2. Dispersion of combustible stores.
3. Use only one plug in an electrical socket.
4. Change the old wiring & broken electrical fitting.
5. Keep the curtains at least three feet away from room heaters.
6. Do not allow children to play with match boxes.
7. Make it a habit to switch off gas supply from the cylinder regulator after use.
8. Keep fire extinguisher in working condition & learn how to use them.
9. Storage of water should be planned for fire fighting.
10. In case of Fire, never stand up, always crawl on ground & keep your face covered.
11. Don’t run, roll over ground.
12. In case of fire emergency DIAL 101.

4. FIRST-AID

4.1 First Aid (प्राथमिक उपचार) :

किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी घटना अथवा दुर्घटना स्थल पर हताहत को, डॉक्टर के आने से पूर्व उपलब्ध साधनों की सहायता से अस्पताल ले जाने से पहले दी जाने वाली प्रथम सहायता को **प्राथमिक सहायता** (**First Aid**) कहते हैं

4.2 Golden Rules (सुनहरे नियम):

वे नियम जो प्रथम उपचार कर्ता को क्रम बद्ध रूप में प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं सुनहरे नियम कहलाते हैं जोकि निम्न प्रकार से हैं:–

1. घटना स्थल से हताहत को **सुरक्षित स्थान** पर ले जायें
2. पहले **परम आवश्यक कार्य** शीघ्रता एवं शांति से बिना भय के करें। A.B. C. की जांच करें।

☆ **A** = Airway = वायु मार्ग
B = Breathing = श्वास
C = Circulation = रक्त परिभ्रमण

प्राथमिकता दें : **R. B. S.**

⇨ **R**. Respiration श्वसन
B. Bleeding रक्त स्त्राव
S. Shock सदमा

3. यदि श्वास क्रिया रूक गई हो तो कृत्रिम श्वास दीजिए, प्रत्येक क्षण मूल्यवान है
4. प्रत्येक प्रकार के रक्त स्त्राव को बन्द कीजिए।
5. सदमे से बचाइये। सदमा प्रतिरोधी घोल दीजिए। ढ़ाढ़स बंधाइये।
6. अनावश्यक वस्त्रों को न उतारिए जितना जरूरी हो काट कर निकाल दीजिए।
7. बहुत अधिक करने का प्रयत्न न करें। उतना ही करें जितना जीवन बचाने के लिए आवश्क है।
8. घायल तथा जो आस – पास हों, उनको भयहीन कीजिए। भीड़ को घटना स्थल से दूर रखें।
9. घायल को तुरन्त अस्पताल/चिक्तिसक के पास पहुंचाने का प्रबन्ध करें।

4.2.1 आवश्यक है:

1. डाक्टरी सहायता मिलने तक रोगी को जीवित रखना। (To preserve the life)
2. उसकी स्थति को बिगड़ने से रोकना।
3. रोगी/घायल को स्वस्थ स्थिति में लाना।
4. उसमें विकार उत्पन्न न होने देना।
5. उसे पीड़ा से बचाना।

4.2.2 अच्छे प्राथमिक सहायक के गुण :

1- उसके दिल में सहृदयता होनी चाहिए तथा वह विनम्र होना चाहिए।
2- उसमें स्थिति के अनुरूप तत्काल निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।
3- उसे अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
4- वह सभी धर्मों का आदर/सम्मान करने वाला होना चाहिए।
5- उसे उपस्थित समुदाय/व्यक्तियों से काम करवा सकने वाला होना चाहिए।
6- उसे घटना स्थल पर मौजूद संसाधनों से काम चलाना आना चाहिए।

4.3 BANDAGES (पट्टियाँ)

जब किसी दुर्घटना के कारण मनुष्य के शरीर में खुली (open wounds) या आन्तरिक (Internal tissue/Bone Injury) (घाव) क्षति आ जाती है, तब उस क्षतिग्रस्त भाग की सुरक्षा व स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए ही पट्टियों का प्रयोग किया जाता है।

4.3.1 पट्टी का परिचय (Introduction to Bandages):

कपड़े का वह साधारण टुकड़ा जो किसी दुर्घटना के समय शरीर पर बने घाव पर रक्त प्रवाह को रोकने या सांप के काटने पर जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाये और उसे कुछ विशेष विधि से बांधा जाए उसे पट्टी कहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रथमोपुचार दल या अन्य सम्बधित सेवाओं के सदस्यों को इसके बारे में सही जानकारी हो।

4.3.2 पट्टियों का प्रयोग (Use of Bandages):

पट्टियों को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो इस प्रकार से हैः–
1 रक्त का नियन्त्रण।
2 सूजन को कम करने (घाव पर होने वाली सूजन आदि को कम करने) के लिए उपयोग।
3 घाव वाले भाग को आराम देने के लिए झोली के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए।
4 शरीर के क्षतिग्रस्त भाग को splints के साथ बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
5 ड्रेसिंग को एक निश्चित स्थान पर रोकने के लिए।
6 क्षतिग्रस्त शरीर के जोड़ों को सहारा देने के लिए।
7 शरीर के क्षतिग्रस्त भाग को किसी भी प्रकार की चोट या दबाव को रोकने के लिए।

4.3.3 पट्टियों की किस्में (Type of Bandages):

प्रथमोपुचार चिकित्सा के लिए सामान्यतः कई प्रकार की पट्टियों को प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु आपत्ति काल के समय प्रयोग में लाई जाने वाली पट्टियां निम्नलिखित हैः

1 **रोलर बैंडेज Roller Bandages:–** जो मेडिकल के अन्तर्गत अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं।
2 **ट्रैगुंलर बैंडेज Triangular Bandages :–** यह पट्टी बहुपयोगी होने के कारण ना0 सु0/हो0 गा0 फर्स्ट ऐड़ आदि में प्रयोग में लाई जाती है।

4.3.4 तिकोनी पट्टी की विशेषताएं Quality of Triangular Bandages:

1. बांधने में आसान होती है।
2. यह अस्थाई ड्रेसिंग के लिए रोलर बैंडेज की बजाय ज्यादा सुविधाजनक एवं आरामदायक है।
3. जहां कहीं भी पट्टी बांधने की आवश्यकता होती है वहां यह आसानी से प्रयोग में लाई जाती है।
4. यह किसी भी सुविधाजनक कपड़े को मोड़ कर बनाई जा सकती है।

4.3.5 तिकोनी पट्टी के भाग Part of Triangular Bandages :

1. आधार (Base) 52'-56'
2. भुजा (Side) 40'-42'
3. चोटी (Apex/Point)
4. कोण (End)

4.3.6 पट्टी बांधने के नियमः

पट्टी को बांधने से पहले निम्नलिखित बातों को मध्य नजर रखना जरूरी है।

1 पट्टी अच्छी तरह साफ तथा रोगाणु रहित हो।
2 पट्टी सही तरह से आवश्यकतानुसार तह की गई हो,(जैसे सकंरी,चौड़ी पट्टी आदि)
3 पट्टी बांधने के लिए घाव वाले भाग को न तो छेड़े और नहीं कोई हिस्सा वहां से हटाएं
4 जब घाव पर एक बार पट्टी बांध दी जाए तो उसे वहां से हटाते समय न तो पट्टी को झटका दें, और न ही पट्टी को खीचें।
5 पट्टी को बांधते समय जो गांठ लगाई जाती है, वह इस प्रकार लगी हो कि न तो वह घाव को रगड़े और नहीं घाव पर दवाब डाले।

4.3.7 तिकोनी पट्टी की झोली (Sling of Triangular Bandages):

तिकोनी पट्टी से निम्नलिखित झोली बनाई जाती हैंः

1. **बाजू लटकाने की बड़ी झोली** (Large Arm Sling) **:—**जब हाथ की चोट का कोई अंदाजा नहीं लगता तब ऐसी परिस्थति में पूरी बाजू को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है (Bandages will be used in full scale form)
2. **बाजू लटकाने की छोटी झोली** (Small Arm Sling);- जब कोहनी और कलाई के बीच में हाथ का नुकसान हुआ हो तब उस भाग को सहारा देने के लिए यह झोली लगाई जाती है। Broad Bandage लगाई जाती है (Double fold)
3. **सेन्ट जोन बाजू लटकाने की झोली** (St John Arm Sling)**:** जब कंधा और गले की हंसली क्षतिग्रस्त हो जाती है तब उसे सहारा देने के लिए यह झोली बनाई जाती है। इसमें गाँठ विपरीत दिशा में आ जाएगी। (Bandages will be used in full scale form).
4. **कफ एंड कॉलर बाजू लटकाने की झोली** (Cuff & Collor Sling)**:** जब कलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है तब यह झोली लगाई जाती है। (Bandages will be used in narrow scale form).

4.3.8 झोली लगाते समय सावधानियाँ :

1 झोली लगाते समय हमेशा घायल व्यक्ति के सामने खड़े हों।
2 प्वाइन्ट को चोटग्रस्त भुजा की कोहनी के ऊपर अथवा नीचे परिस्थिति के अनुसार रखें।
3 पट्टी के दोनो सिरों को रोगी के रोगग्रस्त हाथ के विपरीत दिशा वाले कन्धे के ऊपर से आगे तथा पीछे से ले जाएँ।
4 दोनों सिरों के आगे पीछे से लाकर चोटग्रस्त वाले कन्धे से कालर बोन के गद्दे पर गाँठ बाँधे तथा सेंट जोन आर्म सीलिग में दूसरे कन्धे कस कर बांधे।

4.3.9 तिकोनी पट्टी के अन्य प्रयोग :–

1 सिर की पट्टी।
2 पैर तथा हाथ की पट्टी।
3 छाती तथा पीठ की पट्टी।
4 घुटने व कोहनी की पट्ट।
5 कंधे तथा कूल्हे की पट्टी।
6 जबड़े की पट्टी।

4.3.10 Triangular Bandage से अन्य पट्टियाँ बनाना ।

1 चौड़ी पट्टी एक तह वाली (Broad Bandage (Single Fold)
2 चौड़ी पट्टी दो तह वाली (Broad Bandage (Double Fold)
3 संकरी पट्टी तीन वह वाली (Narrow Bandage)

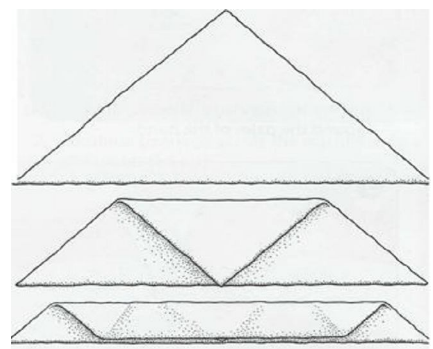

4.3.10.1 चौड़ी पट्टी का प्रयोग:–

1 सिर, गाल तथा कान पर।
2 गर्दन पर।
3 भुजा/बाजू, जाँघ तथा पैर पर।
4 जबड़ा तथा नाक पर।

4.3.10.2 संकरी पट्टी का प्रयोग:–

1 जहां घाव के स्थान के ऊपर कम जगह ड्रेसिंग के रूप में उपलब्ध हो।
2 घाव पर निकले रक्त को रोकने के लिए दबाव डालने हेतू।
3 splints (खरपच्चियाँ) को एक निश्चित स्थान पर रोकने के लिए।
4 पैडिग (गद्दी) के रूप में बनाने के लिए।

4.3.11 संकट काल की पट्टियाँ :–

यदि तैयार की हुई कीटाणुरहित पट्टियाँ या रुई की गद्दी (Gauge) तत्काल उपलब्ध न हों तो रुमाल के अन्दर की पर्त या धुला तौलिया, कपड़े का टुकड़ा या साफ कोरा कागज भी काम आ सकते हैं परन्तु उनका प्रयोग केवल अस्थाई है जब तक कि तैयार की हुई कीटाणुरहित पट्टी (Gauge) रुई की गद्दी न मिल जाए।

अधिकाधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है कि पट्टी को पकड़ते तथा लगाते समय घाव का कोई भी भाग नंगी अंगुलियों से छूने न पाए और न ही पट्टी का कोई भाग घाव के साथ लगने वाला हो। उद्देश्य यह है कि कीटाणुओं की छूत न लग सके।

मरहम पट्टी लगाने के बाद यह आवश्यक है कि उस पर रुई की गद्दी से, जो मरहम पट्टी से परिमाण में बड़ी हो उसे ढक दिया जाए और उस पर पट्टी बांध दी जाए। यदि रुई उपलब्ध न हो तो साफ वस्त्र या अन्य नर्म मोटा कपड़ा गद्दी की भांति लगा दिया जाए।

4.3.12 पट्टियों को बाँधने की विधि (मरहम पट्टी को स्थिर रखने के लिए)

प्रथम सहायक को चोटिल स्थान पर रखने के लिए रुई या कपड़े की एक गद्दी पहले से बना कर तैयार रखनी चाहिए।

1. **खोपड़ी के लिए :–** पट्टी के आधार के किनारे को अन्दर की ओर मोड़ दें। रोगी के पीछे खड़े होकर खुली पट्टी उसके सिर पर ऐसे रखिए कि उसका मुड़ा हुआ किनारा माथे पर भौंहों के ऊपर रहे और उसका सिरा (छोर) सिर के पीछे लटका रहे। पट्टी के सिरों दोनों बाजू वाले सिरों को सिर के दोनों बाजू वाले सिरों को कानों से जरा ऊपर पीछे की ओर ले जाइए। गर्दन के ऊपर सिरों को पट्टी के सिरे के ऊपर से होते हुए लाइए और माथे पर पट्टी के निचले किनारे के निकट रीफ गांठ लगा दीजिए। रोगी के सिर को एक हाथ से पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से पट्टी के पिछले सिरे को खींचकर सिर के ऊपर तालू के ऊपर लाकर पिन से अटका दीजिए।

2. **माथा, खोपड़ी के आस–पास, आँख, गाल या किसी गोलाकार अंग की पट्टी के लिए** :– रोगी की आवश्यकतानुसार संकरी या चौड़ी पट्टी का प्रयोग कीजिए। पट्टी का मध्य भाग मरहम के ऊपर रख कर छोरों को सिर या अंगों के आस–पास ले जाकर आर–पार करके सुविधाजनक स्थिति में बांध दीजिए। बची हुई पट्टी अंग के आस–पास ले जाकर बांधी जा सकती है।

3. **सीने के सामने के लिए :–**रोगी के सामने खड़े होकर खुली पट्टी का मध्य भाग घाव की मरहम पट्टी पर रखते हुए उसके सिरे को उसी ओर के कंधें पर रखिए। आधार को तीन इंच मोड़ कर घुमा कर पीठ के पीछे ले जाकर इस प्रकार बांधिए कि एक कोना लम्बा लटका रहें, इस कोने को ऊपर वाले सिरे से बाँधिए।

4. **पीठ के लिए :–** रोगी के पीछे खड़े होकर सीने की पट्टी के प्रकार पट्टी बांधिए।

5. **कंधे के लिए :–**रोगी के सामने उसके चोटिल कंधे के पास खड़े होकर पट्टी के बीच को कंधे पर ऐसे रखिए कि उसका सिरा रोगी की गर्दन पर पड़े। आधार (Base) को अन्दर की ओर मोड़िए और पट्टी के दोनों कोने पकड़ कर बगल के पास लपेट कर बांधिए। अब बाजू की झोली बना कर हाथ को लटका दीजिए। पहली पट्टी के गर्दन वाले सिरे को झोली की गांठ के ऊपर से निकाल कर सेफ्टी पिन से अटका दीजिए।

6. **कोहनी के लिए** :—रोगी की कोहनी को समकोण के आकार से मोड़िए। एक खुली पट्टी के आधार (Base) के किनारे को संकरी मोड़ से अन्दर की ओर मोड़िए। उसके सिरे (Point) को ऊपरी बाजू के ऊपर रखिए तथा पट्टी के मुड़े हुए आधार के मध्य भाग को हाथ के आगे वाले हिस्से के नीचे रखिए। पट्टी के दोनों कोनों को पकड़ कर कोहनी के सामने आर–पार करके ऊपर के बाजू पर कोहनी से दूर ऊपर की ओर बांधिए। पट्टी के सिरे को खींच कर सेफ्टी पिन से अटका दीजिए। यदि कोहनी को मोड़ना सभंव न हो तो एक संकरी या चौड़ी पट्टी का रोगी की आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

7. **हाथ के लिए** :—एक खुली पट्टी हाथ के नीचे रखिए – घाव ऊपर की ओर हो – पट्टी का सिरा (Point) रोगी से दूर हो और उसका आधार रोगी की कलाई पर हो। सिरे को हाथ सेनीचे से कलाई पर लाइये और पट्टी के आधार को मोड़ कर कलाई पर लपेटिए और आर–पार करके अन्त में सिरे के ऊपर गांठ लगा दीजिए। सिरे को गांठ के ऊपर लाकर हाथ की पट्टी पर पिन लगा दीजिए। ऊपरी भुजा के घावों पर मरहम पट्टी करके पट्टी बांधने के पश्चात् भुजा को झोली में ड़ाल कर सहारा दे देना चाहिए।

8. **कूल्हे या जांघ के लिए** :— चोटिल कूल्हे के सामने खड़े होकर या घुटनों के बल झुक कर संकरी पट्टी शरीर के आस–पास इस प्रकार बांधिए कि गांठ अन्दर की ओर रहे। एक खुली पट्टी के सिरे (Point) को पहली पट्टी के नीचे से लेकर गांठ के ऊपर से नीचे मोड़ दीजिए। घायल के साइज के अनुसार खुली पट्टी के आधार (Base) के किनारे को अन्दर की ओर मोड़ लीजिए। सिरे उस जाँघ (Thigh) के आस–पास ले जा कर आर–पार कर लें तथा उन्हें उस के बाहरी भाग पर इस प्रकार बांध दें कि पट्टी का निचला किनारा स्थिर हो जाए। पट्टी के सिरे को सेफ्टी पिन से अटका दीजिए।

9. **घुटने के लिए** :— घायल के घुटने को समकोण मोड़ दीजिए। खुली पट्टी के आधार को संकरा मोड़ दीजिए और उसके सिरे को उस पर रखिए। मुड़े हुए आधार को उसके घुटने के नीचे और उसके पीछे से उस पर लपेटिए और फिर सामने की ओर निकाल कर घुटने से थोड़ा ऊपर हट कर बांधिए। सिरे को खींच कर और लाकर घुटने से ऊपर पिन से अटका दीजिए।यदि चोट ऐसी हो कि घुटना मोड़ना संभव न हो तब संकरी या चौड़ी पट्टी आवश्कतानुसार प्रयोग करनी चाहिए।

10. **पैर के लिए** :—घायल के पैर को खुली पट्टी के मध्य में ऐसे रखिए कि उसकी अंगुलियाँ पट्टी के सिरे (Point) की ओर हों। इस सिरे को पैर के ऊपर लाकर उसके कोनों को पकड़ कर एड़ी और टखने पर लपेटिए और सामने बांधिए। सिरे को खींच कर नीचे लाकर पिन से अटका दीजिए।

4.4 घाव व उनके प्रकार

4.4.1 WOUND (घाव) : A wound is a type of injury in which skin is torn, cut or punctured (an open wound), or where blunt force trauma causes a contusion (a closed wound). In pathology, it specifically refers to a sharp injury which damages the dermis of the skin.

घाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं Direct तथा Indirect

<u>Direct</u>- यदि त्वचा के साथ मांसपेशी में कटाव, छिलना आदि हो तो उन्हें Direct Wounds कहते हैं।

<u>In Direct - </u>यदि झटका लगने से, मोच आने से मांस पेशी खिंच जाये तो उसे In Direct wounds कहते है यह पैराशूटर/ जिम्नास्टर आदि में अधिकांश होता है ।

4.4.2 घाव के प्रकारः–

1. **Incised Wounds (सीधे कटे घाव)**
किसी चाकू, ब्लेड, टूटे गिलास के काँच से लगा जख्म। इसमें पेशीय क्षति कम होती है, तथा जख्म के किनारे सीधे होते हैं। रक्त स्त्राव जल्दी ही बन्द हो जाता है तथा इससे Infection की संभावना बहुत कम होती है। जख्म जल्दी भर जाता है।

2. **Lacerated Wounds**: **(आड़े तिरछे घाव)**
यह आरी तथा ऐसी ही किसी भोथरी वस्तु से बनते है, इसमें रक्तस्त्राव कम होता है, क्योंकि रक्तवाहिकाओं के किनारे क्षतिग्रस्त व बन्द/नष्ट हो जाते हैं इन्हें सही होने में समय लगता है घाव खुले होने की स्थिति में **Infection** हो सकता है जो कि खतरनाक है।

3. **Punctured Wounds**: **(छिद्रित घाव)**
किसी नुकीली वस्तु, गोली, कैंची, पेचकस आदि के प्रहार से लगते हैं इनमें बाहर की अपेक्षा अंदर के अंग पर अधिक गंभीर चोट होती है जो कि बाहर से नजर नहीं आती तथा जख्म की गंभीरता का पता नहीं चलता। रक्त स्त्राव अधिक तथा भयंकर हो सकता है यह रक्त स्त्राव अन्दरूनी **(Internal Bleeding)** भी हो सकता है। इस प्रकार के जख्मों में अधिक खतरनाक संक्रमण से Infection होने की संभावना रहती है।

4. **Contused Wounds: (गुम चोट)** यह कोमल उत्तकों पर चोट लगने के कारण होते हैं। इनमें रक्त वाहिकाऐं फट जाती हैं तथा त्वचा के अन्दर रक्त रिसने लगता है जिससे अंग में सूजन आ जाती है।

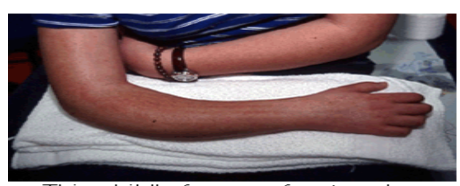

This child's forearm fracture has resulted in a bent appearance of the f

5. **Abrasion: (खरोंच)** इसमें सड़क पर गिरने, दीवार की रगड़ आदि से पड़ने वाली खरोंच आती हैं। यह उपरी त्वचा पर ही होती ह। रक्त केवल

छलछलाता है रक्त स्त्राव नहीं होता तथा 3– 5 दिन में खुरंट पड़ कर ठीक हो जाता है।

4.4.3 ध्यान देने वाली विशेष बातें:–

Responsiveness: जख्मी होश में है या नहीं, तथा रक्तस्त्राव अधिक तो नहीं यह देखना चाहिए

What to do: खुले हाथों से कभी भी घाव को न छुऐं यदि संभव हो तो साफ व स्वच्छ कपड़े से ढ़क दें। घाव से दूर प्रेशर प्वाइंट से रक्तस्त्राव को बन्द करने का प्रयास करें।

Bleeding: 50% रक्त की कमी होने पर मृत्यु हो सकती है।

Infection : जख्म के गंदा होने से संक्रमण हो सकता है जिससे परेशानी बढ़ सकती है।

To Attend First**:** ज्यादा खुले घाव/अधिक रक्तस्त्राव वाले घायल को पहले अस्पताल/चिकित्सक के पास भेजने का प्रबंध करें।

4.5 BLEEDING (रक्तस्त्राव)

रक्तस्त्राव : रक्तस्त्राव का अभिप्राय रक्त वाहिकाओं से रक्त निकलना है जो जीवन के लिए हमेशा खतरनाक हो सकता है और जब तक इसे नियंत्रित न कर लिया जाये एक सीमा के बाद रक्त की हानि से सदमा पहुंच सकता है।

4.5.1 रक्तस्त्राव के प्रकार:–

1. **बाहृयः** यह प्रायः हमेशा घाव या चोट के कारण होता है और हाथ–पैरों या धड़ की सतह के आसपास स्थित रक्त वाहिकाओं से रक्त निकलता है और तत्काल बाहर की ओर निकलकर दृष्टिगोचर होने (नजर आने) लगता है अथवा कपड़ों को भिगोने या चिपचिपा करने लगता है।
2. **आंतरिक** : इसके अंतर्गत किसी चोट के लगने या किसी रोग के कारण रक्त आंतरिक अंगों में से या शरीर की गुहिकाओं (केविटी) में से निकलता है और बाहर की ओर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि उल्टी या खांसी न आए अथवा मध्य कर्ण (कान) या नाक से रिसने न लगे।

4.5.2 रक्तस्त्राव पर नियंत्रण:

4.5.2.1 सामान्य उपाय:

(i) रोगी को लिटा दें और चोट ग्रस्त भाग को विश्राम की आरामदायक स्थिति में रखें।

(ii) उस भाग को उपर उठा दें लेकिन हाथ– पैर में उसके साथ अस्थिभंग होने के प्रति सावधान रहें।

(iii) यदि रोगी बेचैन हो तो उस भाग को या हाथ– पैरों को स्पिलन्ट(Splint) से गतिहीन कर दें। इससे बिना किसी बाधा के रक्त के थक्के बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

4.5.2.2 दबाव का प्रयोग:

1. **घाव पर सीधे दबाव**: सतही घावों से रक्तस्त्राव को रोकने का सबसे आसान और प्रायः काफी प्रभावी तरीका पैड और पट्‌टी को कस कर बांधना है। इसे कितना कस का बांधा जाए, यह बात रक्तस्त्राव के प्रकार पर निर्भर करेगी।

2. **अप्रत्यक्ष दबाव** : जब किसी घाव के लगने पर किसी धमनी में चोट पहुंची हो और उस पर कसकर प्रत्यक्ष दबाव डालने के बावजूद निरंतर रक्त बहता रहता है और साथ ही जब पैड की पट्‌टी तत्काल उपलब्ध न हो तो रक्त की हानि को रोकने के लिए तत्काल कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रथम उपचारकर्ता को चाहिए कि अपने अंगूठे से धमनी की हड्‌डी पर दबाएं।

मानव शरीर में केवल कुछ ही ऐसे उपयुक्त स्थान होते हैं जिन्हें "दाब बिन्दु" कहा जाता है। इस प्रकार एक दाब बिन्दु को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां धमनी सतह के पास हो, किसी हड्‌डी के पास से गुजरती हो और उसे उस पर दबाया जा सकता हो मानव शरीर के विभिन्न दाब बिंदुओं के लिए निम्न चार्ट देखें।

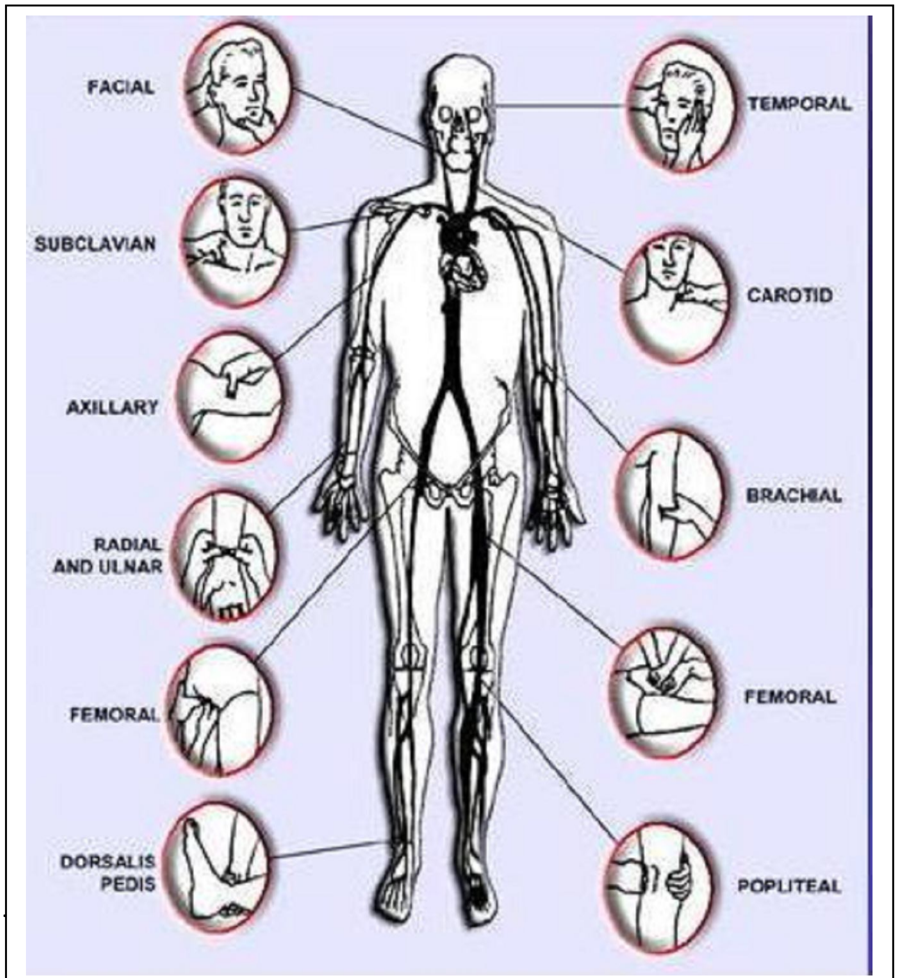

3. रक्त

(i) **गाल या जीभ से रक्तस्त्रावः**

- इस रक्तस्त्राव को पेट या फेफड़ों से रक्तस्त्राव न समझें।
- मुंह में रखने के लिए बर्फ या ठंडा पानी दें।
- यदि रक्तस्त्राव अत्यधिक हो और उस भाग को पकड़ा जा सकता है तो उगंली और अंगूठे से साफ लिंट का टुकड़ा पकड़ कर उस भाग को दबाएं।

(ii) **दाँतो के सॉकेट से रक्तस्त्राव :**

- लिंट के साफ टुकड़े या रूई से सॉकेट को बंद करें।
- उसके उपर छोटा कार्क रखें और हताहत को उसे काटने को कहें।

(iii) **नाक से रक्तस्त्रावः**

- रोगी का सिर सीधा रखकर या हलका सा आगे की ओर झुकाकर बिठाएं।
- गरदन के आस–पास के कपड़े ढ़ीले कर दें।
- हताहत को मुंह से सांस लेने को कहें जो कि आधा खुला होना चाहिए।
- नाक को ठंडक प्रदान करते हुए दबाएं और उसे 5 मिनट के लिए उंगली से दबाए रखें
- हताहत को हिदायत दें कि नाक जोर से न सुकड़े बल्कि हल्के से नाक से सांस खींचे।

(iv) **कान के मार्ग से रक्तस्त्रावः** यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगने पर या उसे गिरने से कान से रक्त बह रहा हो तो खोपड़ी के निचले भाग में अस्थिभंग होने का संदेह होता है। यह एक गंभीर प्रकार का अस्थिभंग है।

प्रथम उपचार इस प्रकार दें।

- हताहत को उस कान की तरफ करके लिटा दें जिससे खून बह रहा हो और कान के उपर सूखी मरहम–पट्टी, ड्रेसिंग करें और हल्के से पट्टी बांध दें।
- कान में डाट लगाने का प्रयास न करें।
- हताहत को अस्पताल ले जाने को अत्यधिक प्राथमिकता दें।

(v) **स्फीत शिराओं से रक्तस्त्रावः**

- हताहत को भूमि पर सीधा लिटा दें और जल्दी से उस अंग को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठाएं।
- रक्तस्त्राव के बिंदु के ऊपर और नीचे एक–एक पतली तह की हुई पट्टी लगाएं क्योकि इन शिराओं में से किसी भी ओर रक्त निकल सकता है।
- हताहत के पैर ऊपर की ओर उठी हुई अवस्था में रखकर उसे ले जाएं।

- यदि बंध लगाया है तो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर कुछ सेकेण्ड़ के लिए ढ़ीला करें। ताकी अंग मृत न हो पाये।

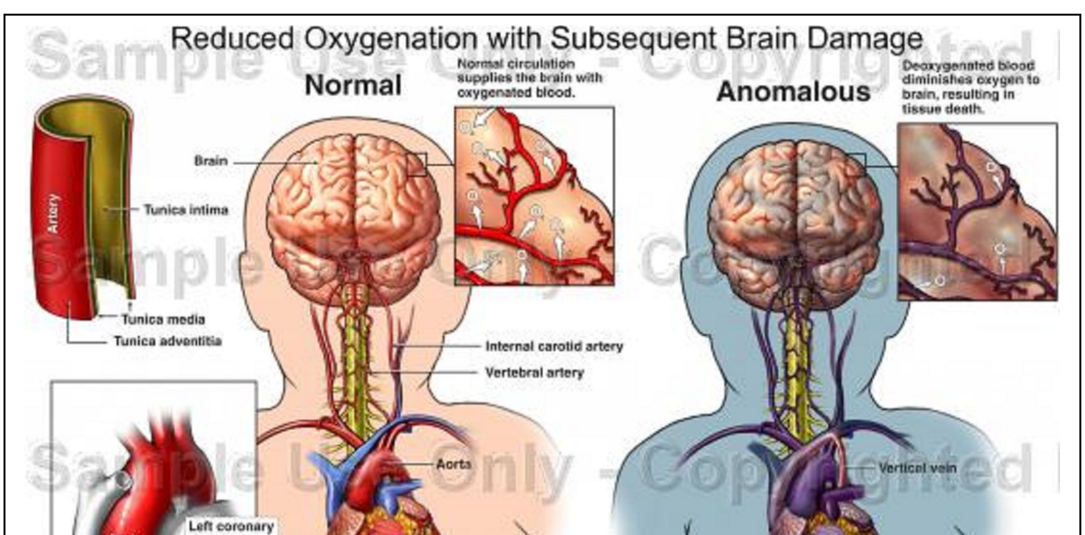

आवश्यक है: रक्तस्त्राव की गंभीरता को देखते हुए रोगी को तुरंत अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करना।

4.6 FRACTURES (अस्थि भंग)

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दवाब या प्रहार के कारण जब किसी हड्डी का मूल स्वरूप बिगड़ जाये, पिचक जाये,उसमें दरार आ जाये अथवा अंग में विकार आ जाये तो उसे Fracture अस्थि भंग कहते हैं।

4.6.1 प्रकार: फ्रेकचर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैः–

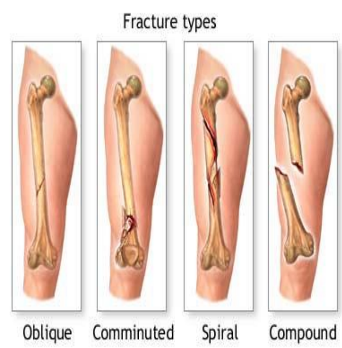

1. साधारण टूट (Simple Fracture)
2. जटिल टूट (Compound Fracture)
3. उलझी टूट (Complicated Fracture)

4.6.2 साधारण टूट (Simple Fracture): हड्डी टूटने के बाद अपने ही स्थान पर रहे अंग को किसी प्रकार नुकसान न पहुंचाये तो उसे साधारण टूट कहते हैं।

4.6.3 जटिल टूट (Compound Fracture) : जब हड्डी टूटने के बाद मांस फाड़ कर बाहर नजर आने लगे तो उसे जटिल टूट कहते हैं।

4.6.4 उलझी टूट (Complicated Fracture): हड्डी टूटने के बाद जब मांस में धंस जाये या टूटी हुई हड्डी में ही धंस जाये तो उसे उलझी टूट कहते हैं।

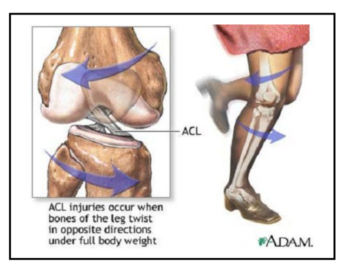

4.6.5 Dislocate: यदि कोई जोड़ अपने स्थान से हट जाता है जो वह Dislocate कहलाता है।

4.6.6 कारणः

1. **प्रत्यक्ष हिंसा** (Direct Force): शरीर के किसी भाग पर किये गए प्रहार के फलस्वरूप यदि उस भाग/स्थान से यदि हड्डी टूट जाती है तो उसे प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं ।

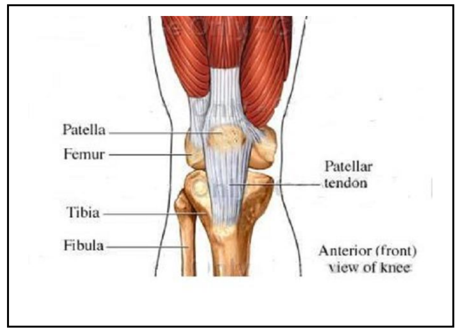

2. **अप्रत्यक्षः प्रहार** (Indirect Force) चोट के कारण चोट लगने के स्थान से दूर किसी हड्डी का टूटना जैसे हाथों के बल गिरने से कॉलर बोन का टूटना, पैरों के बल गिरने से फीमर बोन, जांघ की हड्डी का टूटना।

3. **पेशीय तनाव** (Muscular Action) मांस पेशियों के उपर खिंचाव पड़ने से होने वाली टूट जैसे पटेला का अस्थि भंग

4.6.7 चिन्ह व लक्षणः

1. दुर्घटना का स्वरूप, चोट का प्रकार
2. दर्द तथा अंग में नरमी
3. प्रभावित अंग में शक्ति का अभाव
4. आकार में बदलाव/विरूपता
5. अंग में अस्वाभाविक स्थिति
6. किसी कारण से सूजन आना
7. सिरों के एक दूसरे के उपर चढ़ने से मूल स्वरूप का खोना
8. रक्त का निस्त्राव
9. सतह की चोट के कारण विवर्णता/आकार में असमानता
10. हड्डी की टूट को बाहर से अनुभव करना
11. हड्डी का चटचटाना
12. असामान्य गतिशीलता
13. मूर्छा,मितली आना, हल्का या तीव्र सदमा लगना।

यह कोई आवश्यक नहीं कि उपरोक्त सभी लक्षण हों क्रम संख्या 11 व 12 केवल डाक्टर को ही देखने चाहिए जब आवश्यक हो।

4.6.8 First Aid of Fracture : अस्थि भंग का प्राथमिक उपचारः

1. हड्डी और आस–पास की संरचनाओं को और अधिक आघात/नुकसान से रोकना।दर्द को कम करना, रोगी को आरामदायक स्थिति में लाना ताकी सदमे की संभावना कम रहे।
2. अस्थिभंग चाहे सामान्य हो या जटिल, 'गतिहीन करना' अस्थिभंग के प्रथमउपचार का मुख्य व प्रमुख कार्य/शब्द है।
3. पट्टियों द्वारा स्पलिंट(splint) का प्रयोग करें, हिलना–डुलना न्यूनतम करे अस्थिर सिरों को गतिहीन करें।
4. हड्डी को बैठाने का प्रयास न करें।

5. कपड़ों को खींचे नहीं उन्हें काट कर निकाल दें।
6. ठोस या अर्ध–ठोस आहार न दें क्योकि शल्य चिकित्सक हड्डी बैठाने के लिए एनेस्थिसिया देने का निणर्य कर सकता है।
7. मरहम पट्टी से घाव को ढक दें रक्त स्त्राव को बंद करें।
8. खुली चोट से हड्डी बाहर निकलने की स्थिति में हड्डी को अन्दर करने/ छेडने का प्रयत्न न करें।
9. गर्म मीठी चाय या 'सदमा–रोधी घोल' के अलावा कुछ और खाने को न दें।
10. पट्टी से अंग को गतिहीन करके अस्पताल भेज दें।
11. जहां आवश्यक हो स्पलिंट(splint) का प्रयोग करें।

4.7 स्ट्रेचर का परिचय /लैशिंग (Lashing)

धातु अथवा लकड़ी के डण्डों पर मजबूत कपड़ा लगा वह उपकरण जिसे रोगी/हताहत/घायल व्यक्ति को ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेचर कहलाता है।

4.7.1 आवश्यकताः जब किसी हताहत को ऊंचाई से सुरक्षित उतारना हो, किसी दबे छुपे स्थान/मलबे से बाहर निकालना हो अथवा वह स्वयं चलकर जाने योग्य न हो तो उसे स्ट्रेचर की सहायता से सुरक्षित स्थान/प्राथमिक उपचार चौकी/वाहन तक ले जाया जाता है।

4.7.2 स्ट्रेचर के प्रकार (सामान्य रूप से प्रयोग में लाये जाने):

1- व्हील टाईप : अस्पतालों आदि में प्रयोग होते हैं।
2- डी टाईप : नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षक संस्था एम्बुलैंस आदि में प्रयोग होते हैं।
3- टेलिस्कोपिक : छोटी एम्बुलैंस आदि में प्रयोग किये जाते है।
4- फोल्डिंग टाईप : आजकल सैंट जॉन एम्बुलैंस में प्रयोग किये जाते हैं

4.7.3 स्ट्रेचर का परिमाप :

डी टाईप बुडन स्ट्रेचरः

1. लम्बाई हैण्डल से हैण्डल: 7' 9" (लगभग 230 से.मी.)
2. कैनवास की लम्बाई: 6' (लगभग 180 से.मी.)
3. कुल चौड़ाई: 1' 11' (लगभग 57 से.मी.)
4. जमीन से उंचाई : 6" (लगभग 15 से.मी.)
5. वजन: 30–32 पौंड़ (लगभग 14 कि.ग्रा.)

4.7.4 स्ट्रेचर को प्रयोग करने से पूर्व टैस्टिंग

किसी भी स्ट्रेचर को प्रयोग से पूर्व उसकी जांच करना आवश्यक है।

<u>जाँचः</u>

1. स्ट्रेचर के दोनों साईड बार डण्ड़ों की जांच
2. स्ट्रेचर के लोहे के कलम्पों(clamps) की जांच
3. नट व बोल्ट की जांच करना क्या वे सही रूप में टाईट हैं या नहीं।
4. स्ट्रेचर को खोलकर उस पर एक ओर रैस्कयूअर को लिटाना व दूसरी ओर से दोनों हैण्डलों को पकड़कर उठाना व पुनः दूसरी ओर यही प्रक्रिया अपनाना।

4.7.5 इम्प्रोवाईज्ड स्ट्रेचर :(Improvised stretcher)

जब मानक स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होते तो परिस्थितिक/अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था या इम्प्रोवाईज्ड स्ट्रेचर तैयार करते हैं ।

इम्प्रोवाईज्ड स्ट्रेचर तैयार करने के लिए सामग्री **दो बांस के डण्डे व एक कम्बल** ।

4.7.6 स्ट्रेचर लैशिंग :

किसी उंचाई या घटनास्थल से जब किसी रोगी/हताहत को सुरक्षित स्थान पर स्ट्रेचर के द्वारा ले जाया जाता है तो रोगी या हताहत की स्वयं सुरक्षा/ स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए उसे स्ट्रेचर पर व्यवस्थित तरीके से बांधा जाता है जिसे स्ट्रेचर लैशिंग कहते हैं।

4.7.6.1 तरीका:

स्ट्रेचर पर कम्बल को आड़ा बिछा कर उस पर रोगी को लिटा दें व पैरों की तरफ से कम्बल को लपेट दें अब रोगी के दाहिने हिस्से से कम्बल के कोने को रोगी की तरफ आधा मोड़ते हुए उसके हाथ के साथ कम्बल का सिरा रख दें। व कोने को रोगी के बायें पहलू में दबा दें रोगी के बांयी तरफ के कम्बल के कोने को नीचे की तरफ मोडते हुए उसके बांये हाथ के साथ मिला कर कोने को दांयी तरफ/दाहिने पहलू में दबा दें ध्यान रखें जिस प्रकार कमीज का बटन वाला दाहिना भाग नीचे होता है व काज वाला बांया भाग उपर उसी प्रकार कम्बल का दाहिना व बायां भाग नजर आना चाहिए।

सिर के पास बैठते हुए अपने दोनों हाथों से कम्बल को उपर खींचते हुए मोड़कर रोगी के सिर के नीचे तकिए की तरह से लगाना।

स्ट्रेचर के दाहिने डण्डे पर क्लो हिच लगाना व बाकी रस्सी/गाईड लाईन को रोगी के छाती के उपर से क्रास करते हुए स्ट्रेचर के नीचे से घुमा कर क्रास में से निकालना पहला बंध छाती पर लगाना व दूसरा बंध कमर/बैल्ट के स्थान पर लगाना । तीसरा बंध घुटनों के उपर व उसके पश्चात् पैरों कें उपर से क्रास करते हुए दोनों पैरों के नीचे से निकालते हुए बकेट /बाल्टी (Bucket Knot) नॉट लगाना व तीनों बंधों में रस्सी को रोगी के दूसरे पहलू बायें भाग में राउंड टर्न देते हुए रस्सी को ऊपर की तरफ ले जाना व अंत में दूसरे हैण्ड्ल पर क्लोहिच लगा कर लैशिंग को फिनिश करना। बचे हुए रस्से को तह करके रोगी के सिर के नीचे रखना।

4.7.7 TRANSPORTATION OF CASUALTY

4.7.7.1 आवश्यकता:

1. गंभीर रूप से घायल मरीजों/पीड़ितों को समय पर सही व आवश्यक प्राथमिक उपचार देने के लिए।
2. त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करवाने के लिए
3. दूर दराज़ के क्षेत्र से कैजुअल्टी लोडिंग प्वाइंट तक रोगी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए।
4. आवश्यक प्राथमिक सहायता को रोगी तक शीध्र त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए।

4.7.7.2 ट्रांस्पोर्ट मैथड

1. स्ट्रेचर द्वारा
2. एम्बुलैंस द्वारा
3. बस
4. रेल व
5. हैलिकाप्टर द्वारा
6. आपातकालीन पद्धतियों द्वारा

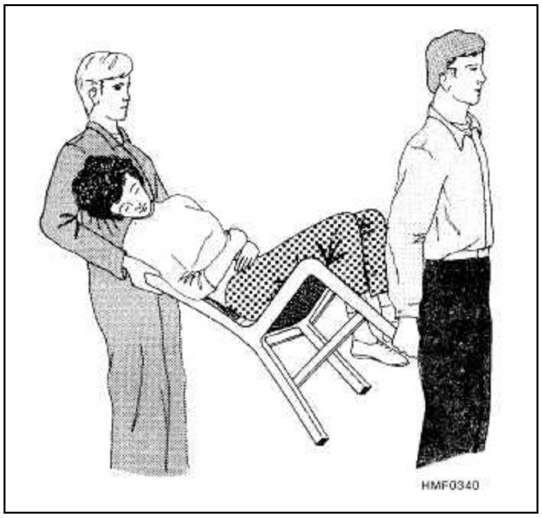

इसके अलावा जहां संभव हो वहां कैजुअल्टी को सीधे ही एम्बुलैंस में लोड कर के उसे तुरंत ही चिकित्सा उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करें।

4.8 CPR: (CARDIO PULMONARY RESUSCITATION)

CPR means heart and respiration both require assistance. If heart stop beating ,blood no longer be pumped to the brain and brain damage will start within minutes. CPR should start as soon as heart stops.

4.8.1 How to detect heart arrest

1. See the carotid pulse.
2. Put your finger on both sides of air pipe.
3. Listen heart beat over chest wall

4.8.2 Respiratory arrest

1. A person has stopped breathing will die within 4 min without oxygen.
2. Put your ear over mouth & nose and look along the chest.
3. You can hear air sound or see chest wall movement
4. When breathing stops, the lips, cheeks and ear lobes take on a bluish-grey tinge.

4.8.3 Airway block

Breathing may be uneasy because the airway has become blocked for one of the following three reasons

1. The head may have fallen forward making the airway narrower.
2. The tounge may have slipped back in the throat.
3. Vomiting or saliva may have collected at the back of the throat blocking the airway.

4.9 एड्स (AIDS)

4.9.1 एक जरूरी बात: एड्स के रोगी से बुरा बर्ताव करना नासमझी है। अपनी जानकारी बढ़ाऐं कि एड्स कैसे फैलता है और कैसे नही फैलता है।

4.9.2 एड्स का (AIDS) अर्थ

A-Acquired . एक्वायर्ड– प्राप्त किया हुआ।
I- Immuno . शरीर की रोगी से लड़ने की क्षमता।
D-Deficiency . कमी।

S-Syndrome . लक्षणों का समूह

4.9.3 H.I.V. संक्रमण की अवस्था

H.I.V. विषाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को H.I.V.संक्रमित कहते हैं। H.I.V.से ग्रस्त व्यक्ति आम लोगो की तरह भला–चंगा नजर आता है। परन्तु इस अवस्था में वह दूसरों को बीमारी दे सकता है।

4.9.4 एड्स के बारे में जानकारी

एड्स एक जानलेवा यौन रोग है इसके इलाज के लिए कोई दवा या टीका नहीं है इससे बचाव बेहद आसान है, किन्तु इलाज असंभव है। जानकारी ही बचाव है।

4.9.5 एड्स क्या है?

एड्स एक ऐसा रोग है जो एच.आई.वी.नामक वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में शरीर की रोगो से लड़ने की क्षमता धीरे–धीरे समाप्त हो जाती है तथा अन्त मे रोगी मौत का शिकार बन जाता है।

4.9.6 एड्स रोग की पहचान निदान

अगर किसी व्यक्ति में एड्स के सांकेतिक लक्षण हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को एड्स ही है, यह लक्षण कुछ अन्य रोगो जैसे (T.B.) में भी हो सकते है। नोट केवल खून की जांच से एड्स का पता लगता है।

4.9.7 एड्स संक्रमण की अवस्था

7 से 10 वर्षों के बाद इस H.I.V. संक्रमित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। छोटी से छोटी बीमारी उसे जल्दी जकड़ लेती है और अन्त मे रोगी की मृत्यु हो जाती है।

4.9.8 एड्स कैसे फैलता है?

1. संक्रमित व्यक्ति से यौन सम्बन्ध रखने से।
2. संक्रमित खून चढ़ जाने से।
3. संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगने से।
4. जो लोग नशा करने के लिए सुई की साझेदारी करते हैं।
5. जो लोग नाम गुदवाने के लिए सुई की साझेदारी करते हैं।
6. संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु को।

4.9.9 संक्रमित व्यक्ति मे H.I.V. विषाणु कहां–कहां पाया जाता है।

1. संक्रमित खून
2. संक्रमित वीर्य पानी
3. संक्रमित योनि पानी
4. आंसू,पसीना, थूक व पेशाब

4.9.10 एड्स ऐसे नहीं फैलता

1. संक्रमित व्यक्ति के साथ काम करने से
2. संक्रमित व्यक्ति के चुम्बन लेने या देने से

3. संक्रमित व्यक्ति के साथ खेलने से
4. संक्रमित व्यक्ति के गले मिलने से
5. संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से
6. संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से
7. संक्रमित व्यक्ति का शौचालय इस्तेमाल करने से
8. संक्रमित व्यक्ति के साथ पढ़ने से
9. मच्छर के काटने से

4.9.11 एड्स के लक्षण

1. एक महीने से ज्यादा दस्त का लगातार रहना
2. एक महीने से ज्यादा बुखार का लगातार रहना
3. बगैर किसी कारण के वजन में कमी आना
4. त्वचा पर खुजली वाले दर्द भरे दाने
5. एक महीने से अधिक रहने वाली खाँसी, गिल्टी या ग्रंथियों का सूजना

4.9.12 एड्स से बचाव

1. एक ही भरोसे मंद जीवन साथी से यौन सम्बन्ध रखें।
2. इन्जेक्शन लगवाते समय डिस्पोज़ेबल सुई और सिरिंज का प्रयोग करें।
3. यदि संभव नही, तो सम्बन्ध स्थापित करते समय हर बार नए निरोध का इस्तेमाल करें।
4. यदि खून की आवश्यकता पड़े तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही लें।
5. शादी होने तक यौन सम्बन्धो से बचें, यदि ये संभव नहीं है तो यौन संबंध करते समय हर बार नए निरोध का इस्तेमाल करें।

5. RESCUE

RESCUE (बचाव)

हवाई हमले के दौरान, प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ व भूकम्प जैसी स्थितियों में अनेकों इमारतें ढह जाती हैं, उनमें घायल व्यक्ति या मरे हुए व दबे हुए लोगों को बाहर निकालना ही बचाव(Rescue) कहलाता है।

5.1 बचाव दल के कार्यः

1. क्षतिग्रस्त इलाके से जीवित या मलबे में फंसे लोगों को बचाना या उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
2. क्षतिग्रस्त इलाके के खतरनाक हिस्सों को गिराना। अगर हो सके तो दीवारों पर टेक लगाना जिससे आगे खतरा न हो ।
3. आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, पानी तथा गैस को बन्द करना एवं करवाना ।
4. घायल व मृत लोगों को बाहर निकालना व हो सके तो उनको फास्ट ऐड देना।
5. मृत प्राणियों को Dead Disposal Squad के हवाले करना ।

5.2 बचाव दल का गठनः–

एक बचाव दल में 8 जवान (कार्यकर्ता) होते हैं तथा बचाव दल का गठन 25000, की आबादी पर किया जाता है। मुख्यतः बचाव दल में होम गार्डस से हृष्ट–पुष्ट जवानों का चयन किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर इसका गठन नागरिक सुरक्षा सदस्यों से भी किया जा सकता है।

5.3 बचाव दल का ब्यौरा

रेसक्यू पार्टी का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1.	Party Leader	पार्टी लीड़र	–	1
2.	Driver Cum Storekeeper		–	1
3.	Mason	राजमिस्त्री	–	1
4.	Carpanter	बढ़ई	–	1
5.	Black Smith	लोहार	–	1
6.	Electrician	बिजली वाला	–	1
7.	Skilled Person	हृष्ट–पुष्ट व्यक्ति	–	2

5.3.1 दल ठहरने का स्थानः– युद्धकालीन आपात समय में बचाव दल नागरिग सुरक्षा डिपो में ठहरते हैं।

5.4 बचाव दल की कार्य प्रणालीः–इलाकों के वार्ड़न द्वारा हवाई हमला या प्राकृतिक प्रकोप की सूचना जब Control Centre से पहूंचती है तो Sub Control Centre यह सूचना नागरिक सुरक्षा डिपो को भेजती है। सूचना प्राप्त होते ही बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचता है।

जैसे ही बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचता है तो पार्टी लीड़र इलाके के वार्डन से या (Incident Control Officer) से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है, कि कितने आदमी दबे हैं या फंसे हुए है, इसके साथ–साथ पुलिस व वहां के पड़ोसियों से भी जानकारी प्राप्त करता है। जानकारी प्राप्त करने के बाद लीड़र योजना बनाता है कि सबसे पहले किन घायलों को निकालना है और उनको फर्स्ट ऐड़ पार्टी को देना है या प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट पर या अस्पताल तक पहुँचाना है।

5.5 क्षतिग्रस्त इमारत में घुसने से पहले सावधानियाँ :–

1. बचाव दल को चाहिए कि वह किसी भी इमारत में घुसने से पहले देखे कि वह किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई है।

2. किसी भी प्रकार का खतरा जैसे बिजली के तार या नुकीली वस्तुएं इत्यादि के बारे में सभी प्रकार की सावधनियों को बरतना चाहिए।
3. बचाव दल को जोड़ी के साथ कार्य करना चाहिए।
4. इमारत में घुसते समय घायलों की आवाज़ को सुनना चाहिए।
5. टूटे दरवाजों व टूटी तारों को नहीं छूना चाहिए।
6. अपने साथी को आवाज़ देकर पुकारते रहना चाहिए।

5.6 क्षतिग्रस्त इमारत में कार्य करते समय सावधानियाँ

1. इमारत में कार्य करते समय माचिस, लाईटर, इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2. इमारत के अन्दर हर प्रकार की गंध व गैस पर ध्यान देना चाहिए।
3. यदि धुएं वाले कमरे में कार्य करना है तो गाईड लाईन का प्रयोग करना चाहिए।
4. टूटी हुई दीवारों को नहीं छेड़ना चाहिए।
5. मलबों के ऊपर से नहीं चलना चाहिए इत्यादि।

5.7 ROPE AND KNOTS (रस्सी व गाँठों का परिचय)

5.7.1 रस्सी:

बचाव कार्यों में रस्सी का महत्वपूर्ण स्थान है। एक गलत रस्सी के कारण बचाव कार्यों में समय की बरबादी तो होती है। साथ ही खतरा भी होता है। बचाव कार्यों के लिए सही रस्सी का चुनाव करना तथा उसे सही तरह से प्रयोग में लाना एक महत्वपूर्ण बात है, अतः ऐसी संस्थाएं जो दुर्घटना के समय लोगों की जान–माल की रक्षा करती हैं, इनको रस्सी की जानकारी व उनका रख–रखाव जानना बहुत जरूरी है।

5.7.2 बचाव दलों के लिए रस्सी की आवश्यकताः

बचाव दलों को अपने कार्यों के लिए निम्नलिखित आकार तथा प्रकार की लम्बाई व मोटाई वाली रस्सियों की आवश्यकता होती है।

1. 3" मोटे व 200′ लम्बे – 2 रस्से – यह रस्सा भारी भरकम सामान के लिए उपयोग करते हैं।
2. 2" मोटे व 100′ लम्बे – 2 रस्से – यह रसा भारी सामान के लिए उपयोग करते हैं।
3. 1 ½ " मोटे व 40" लम्बी – इस प्रकार की रस्सियां लोंड़िग करने के काम आती है लोंड़िग करते समय गाईड लाईन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
4. 1" मोटी व 15' लम्बी (गेप लाईन):– इसको <u>sash cord</u> भी कहते है यह रस्सी छोटी लोंडिग व छोटे हल्के कार्य करने के काम आती है।
5. स्टील वायर रोप 5/8" मोटी तथा 100′ लम्बी होती है – यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

5.7.3.1 रस्सों की बनावट के लिए निम्नलिखित फाईबर प्रयोग में लाए जाते हैं:–

1. **हम्पस(Humps)रोप (सन की रस्सी)** :–यह हल्की नरम व बहुत ही मजबूत होती है, और लम्बी अवधि तक चलती है। जिसके कारण यह रेसक्यू के लिए बहुत उपयोगी है। खोलने पर आसानी से खुल जाती है।
2. **Italian:** Humps के बाद रेसक्यू की रोप बनाने के लिए इसका दूसरा स्थान है।
3. **मनीला रोपः–** यह समुन्द्र में रेसक्यू कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हम्पस रोप तथा Italion Rope हमारे देश में आसानी से उपलब्ध नहीं होती इसलिए हमारे यहां मनीला का ही ज्यादा प्रयोग होता है। यह पानी में आसानी से नही गलती।
4. **शीशल रोपः**–यह कमजोर होती है इसकी उम्र भी कम होती है। इसलिए यह Rescue के काम कम आती है।
5. **काटन रोप (कपास):**–यह बहुत मजबूत होती है। इसको संभाल कर रखना चाहिए। अगर इसको खोला जाए तो यह वैसी ही रहेगी।
6. **कोएर रोप(जूट):**–इसकी उम्र बहुत कम है। यह बहुत कमजोर होती है इसको Rescue के कार्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
7. **BOB रोपः– Synthetic fiber** से बनी होती है। इसकी कम मोटाई में ज्यादा ताकत होती है। यह हल्की तथा मजबूत होती है।

5.7.4 रस्सों का मापः–रस्सों का माप इसकी मोटाई पर होता है और माप इंच में लिया जाता है। Rescue के अन्दर रस्सा या रोप उसे कहा जाता है जिसकी मोटाई कम से कम़ 1 ½" 'या उपर होती है और 100′ लम्बाई होती है। 1 ½" से कम मोटाई हो और लम्बाई 100′ कम हो तो उसे लाईन कहते है।

5.7.5 रस्सी का रखरखावः–बचाव दल में रस्सों के रखरखाव पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि रखरखाव के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी हैः–

1. जब रस्सी को दीवार के साथ काम करते समय प्रयोग में लाया जाता है तो दीवार की नुकीली नोंक और रस्सी के बीच में कोई गद्दी रख लें।
2. रस्सों को रसायनिक पदार्थो से बचाकर रखें।
3. किसी भी प्रकार की चिकनाई वाले पदार्थो को रस्सी पर न लगने दें।
4. रस्सी को सुखा कर रखना चाहिए यदि वह कार्य करते समय गीली हो गई हो ।
5. रस्सी में लगाई गई गाँठों को अच्छी तरह खोल कर रखें।
6. रस्सों को जमीन से लगभग 2′ की ऊँचाई पर रखें।

5.7.6 रस्सी की मजूबती की जाँचः–रस्सी को प्रयोग में लाने से पहले रस्सी की मजूबती की जांच करने के लिए रस्सी का एक सिरा किसी भारी ओबजेक्ट पर बाँधें तथा दूसरे सिरे को पकड़कर खीचें। यही क्रिया दूसरे सिरे पर भी अपनाएँ।

5.7.7 रस्सी के भागः–रस्सी के तीन भाग होते है :–

1.Running Part	रनिंग पार्ट	1. कार्य करने वाला सिरा
2.Standing Part	स्टैन्डि पार्ट	2. जिस भाग पर कार्य किया जाए
3.Dead End	डेड़ एन्ड	3. नाराक्तमथा सिरा

5.7.8 KNOTS (गाँठें)

5.7.8.1 गाँठ: जो रस्से द्वारा उसी रस्से पर एक या अधिक मोड़ लेकर बनाई जाए (तरोड़ मरोड़ कर) तथा जहां पर बने वहीं पर स्थिर हो जाए उसे गाँठे कहते हैं। जैसेः— Thumb Knot , Figure of 8 Knot , Chair Knot, Reef Knot etc.

बचाव कार्यों में गाँठो की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः सम्बधित सदस्यों को गाँठो का लगाना और इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।

5.7.8.2 एक अच्छी रेसक्यू गाँठ: जो आसानी से लग सके, आसानी से खुल सके, लगाते और खोलते समय रस्से को किसी प्रकार का नुकसान न हो तथा जहां लगे वहीं पर स्थिर हो जाए उसे एक अच्छी रेसक्यू गाँठे कहते है। जैसे :— Chair Knot, Bow Line, Bucket Knot इत्यादि।

5.7.8.3 Hitch: जो एक रस्सी द्वारा उसी रस्सी पर बिना किसी सहारे के न लग सके और यदि बीच के सहारे को हटा लिया जाए तो रस्सी अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी उसे ही हिच कहते हैं। जैसेः—Clove Hitch, Timber Hitch, Draw Hitch, Round Turn Tow Half Hitch. Half Hitch etc.

5.7.8.4 Band: जब दो विभिन्न रस्सों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ते समय वो एक दूसरे के अन्दर एक या उसमें अधिक मोड़ लेकर गुजरे उसे बैन्ड़ कहते हैं। जैसेः— Single Sheet Band, Double Sheet Band, Ship shank Band, Fisherman Band etc.

5.8 Working Procedure in the Smoke Room
(धुएं वाले कमरे में कार्य करने का तरीका)

हवाई हमले के दौरान दुश्मन हवाई जहाज से अनेकों बम्ब गिरता है। ये बम्ब हवाई जहाज के बहाव में दूर दूर क्षेत्रों में फैलते है इनके गिरने से अनेक स्थानों पर आग लग जाती है। आग लगने पर फायर बिग्रेड आग बुझाने में असमर्थ होती हैं और तंग इलाकों में नहीं पहुँच पाती है। नागरिक सुरक्षा के सदस्य उन छोटी–छोटी आग पर काबू पाते हैं। और कई इमारतों में आग लगने के कारण धुँआ हो जाता है।

धुएं वाले कमरे में कार्य करते समय निम्न प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. धुएं वाले कमरे में जाने से पहले बिजली के मेन स्विच को बन्द कर दें, गैस को बन्द कर दें और साथ ही गैस होने की गन्ध लें।
2. शरीर पर गाईड लाईन बांध कर अन्दर जाएँ बों लाईन लगाकर जाएं, व जोड़े में कार्य करें।
3. मुँह पर गीला कपड़ा या रूमाल बांध कर जाएं।
4. अचानक कमरे का दरवाजा ना खोलें क्योंकि अन्दर की गर्म गैस और धुआँ आग बुझाने वाले व्यक्ति को झुलसा सकता है।
5. नीचे झुकी हुई स्थिति में होकर धीरे–धीरे दरवाजा खोले, जिससे गर्म गैस और धुँआ आपको नुकसान न पहुंचा सके। और धुँआ और गर्म गैस आपके सर के ऊपर से निकल जाए।
6. दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो दरवाजे को धीरे–धीरे खोले उसको झटके से न खोले।
7. कमरे में रेंगते हुए प्रवेश करे क्योंकि फर्श के पास कम धुआँ और कम गर्म वायु होती है। इससे सांस लेने में आसानी होती है और कमरे की वस्तु साफ दिखाई देती है।
8. कमरे के अन्दर सदैव पेट के बल रेंगती हुई स्थिति में जाएं।

9. हाथों में रबर के दस्ताने पहन कर ही जाए ताकि हाथों को कोई नुकसान न पहुँचे।
10. हेलमेट पहनकर कमरे के अन्दर प्रवेश करें व दीवार के साथ–साथ चलें किन्ही स्थितियों में आग से घिरे हुए व्यक्ति बिस्तरों में छिप जाते है ऐसे स्थानों की तलाशी अवश्य लें।
11. कमरे का पूरा चक्कर लगाकर बाहर आएं।

5.8.1 Emergency Method of Removing Casualty for rescue
(घायल व्यक्तियों को हटाने के आपात कालीन तरीके)

युद्धकालीन, आपातकाल में या अन्य किसी दूर्घटना में जब लोग दुर्घटना के कारण घायल या बेहोश हो जाते हैं, तब उनका दुर्घटना स्थल से सुरक्षित स्थानों को ले जाना आवश्यक है, यदि उचित समय पर ऐसा नहीं किया जाए तो दुर्घटना से पीड़ित लोोगों को उसी स्थान पर मृत्यु हो सकती है।

5.8.2 आपातकालीन तरीकें से घायलों को हटाने की आवश्यकता (Need of Emergency Methd of Removing Casualty): जहां कहीं भी दुर्घटना स्थल पर कोई स्ट्रेचर आसानी से उपलब्ध नहीं होता या स्ट्रेचर उपलब्ध होते हुए भी उसे प्रयोग में लाना संभव नहीं होता उस परिस्थिति में दुर्घटना स्थल से घायलों को हटाने के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाते हैं, जिन्हें घायलों को हटाने के आपातकालीन तरीके कहते हैं।

5.8.3 तरीकों का चुनाव (Choice of Methods): घायलों को हटाने के तरीकों का चयन निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

1. घायल की परिस्थिति या दशा या अवस्था, (Condition of Casualty or Nature of Casualty):– क्या घाव गहरे तथा खतरनाक हैं, व्यक्ति बेहोश है या अर्धमूर्छित है, शरीर अकड़ा तो नहीं है।
2. घटना स्थल की परिस्थिति, (Condition of Incidence Place) स्थान खुला है, बन्द है, तंग है, कम ऊंचा हैं, धुंए वाला है, पानी में है (इत्यादि)।
3. बचाव करने वाले व्यक्तियों की संख्या, (Number of Rescues): 1, 2 या उससे अधिक हैं।

5.9 बचाव के तरीके

5.9.1 एक व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके: (Emergency Methods for removing Casualty by One Man):

1. **मानव बैसाखी (**Human crutch**):** जब एक पाँव खराब (चोट) हो casualty होश में हो।
2. **पीठ पर लादना (**Pick a Back**):** जब पीठ पर चोट हो और casualty चलने की हालत में न हो।

3. **पीठ पर उल्टा लादना (**Pick a Back Reverse**):** जब छाती पर चोट हो और casualty चलने की स्थिति में न हो ।
4. **फायर मैन लिफ्ट (**Fire Man Lift**):** जब casualty बेहोश हो तब यह तरीका अपनाया जाता है।
5. **रेंग कर निकालना (**Rescue by Crawling**):** जहां आप खड़े होकर casualty को न निकाल सकते हों। और casualty बेहोश हो।(Casualty को सीधा लेटकर दोनो हाथों को बांधकर फीगर ऑफ ऐट लगाना)
6. **बो–लाईन ड्रैग (**Bow line Drag**):** यह तरीका उस बेहोश व्यक्ति को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो बहुत भारी हो और किसी लम्बी गैलरी (गलियारे) में पड़ा हो या कम ऊंचे स्थान पर हो।
7. **डाऊन स्टेयर्स (**Down Stairs**):** जब casualty बेहोश हो भारी हो और ऊपर से नीचे सीढी से उतारना हो तब यह Method प्रयोग किया जाता है।
8. **टो ड्रग (Toe Drag):** जब casualty पैरों की तरफ से किसी भारी वस्तु के नीचे दबी हो और वहां पर आपको वस्तु पर रुकावट लगानी पड़ेगी, ताकी वह वस्तु आपके या casualty के ऊपर न आ पड़े। (अपने दोनों पंजों को casualty के काँख के नीचे लगाकर खिसकाना)।
9. **मानव पालना (Human Cradle):** हल्के व्यक्तियों के लिए।

5.9.2 एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके (Method by more than one person):

1. **दो मानव बैसाखी (**Human Crutch by Two men**):** जब casualty के दोनों पैरों में चोट हो और casualty होश में हो।
2. **दो हाथों का आसन (**Two Hand Seat**):** जब casualty चलने की हालत में न हो और दोनो पैरों में (खराब) चोट हैं।
3. **तीन हाथों का आसन (**Three Hand Seat**):** जब casualty थोड़ी भारी हो एक पांव खराब या (चोट) लगी हो और चलने की स्थिति में न हो।
4. **चार हाथों का आसन (**Four Hand Seat**):** जब casualty बहुत भारी हो तथा चलने की हालत में न हो।
5. **अग्र तथा पृष्ठ तरीका (**Fore and aft Method**):** गर्भवती महिला हो या व्यक्ति का पेट फटा हो या भारी घाव हो, तब यह तरीका अपनाया जाता है।
6. **एस0 विधि (**"S"Method**):** जब casualty का शरीर अकड़ा हुआ होता है तब यह प्रयोग करते हैं।

5.10 GENERAL PRINCIPLES AND STAGES OF RESCUE

The primary object of the Rescue Party is to rescue living persons trapped in debris. It is also responsible for the recovery of the dead from damaged buildings and to take such immediate steps as may be necessary for the temporary support or demolition of buildings, the collapse of which is likely to endanger life or to obstruct traffic.

5.10.1 General Principles of the Rescue Party are:

1. To rescue living persons trapped beneath debris or from the damaged building.
2. To render first-aid to such trapped persons or persons so released, and to send them for further medical attention
3. To take such immediate steps as may be necessary for the temporary support or demolition of damaged structure, which is likely to endanger life or to obstruct, or hinder the work of the rescue party it self.
4. To cut off essential services from damaged buildings.
5. To recover the ded from damaged buildings.

5.10.3 STAGES OF RESCUE

After assessing and planning for work, it has to be done in progressive stages, so that no casualty is left under the debris or trapped in damaged buildings. The stages of rescue are as under:

1. Stage-I : Dealing with surface casualties.
2. Stage-II: Searching slightly damaged buildings.
3. Stage-III: Exploration of likely survival points.
4. Stage-IV: Selected debris clearance.
5. Stage-V: General debris clearance.

5.11 Rescue Do's and Don'ts

5.11.1 Do's :

(i) Do keep yourself calm and cool
(ii) Do carry survey before starting rescue work.
(iii) Do examine casualty before removal and see that you give it the proper first-aid.
(iv) Do free nose and mouth of the casualty from dust and grit to facilitate breathing.
(v) Do protect a casualty from falling debris and dust, if the casualty can not be immediately removed from the site.
(vi) Do be careful how you remove debris from the vicinity of a casualty.
(vii) Do keep the casualty warm and so reduce shock.
(viii) Do exercise great care while using sharp tools for removal of debris.
(ix) Do give plenty of water to a pinned drop casualty before releasing him.
(x) Do keep as close as possible to the wall when on damaged stairs and upper floors.
(xi) Do arrange for proper medical attendance of the casualty as early as possible.

5.11.2 Don'ts :

(i) Don't move an injured person without rendering first aid, unless he is in immediate danger.
(ii) Don't crawl over the debris or disturb part of the damaged structures unless you are compelled to do so by circumstances.
(iii) Don't touch live electric wiring.
(iv) Don't pull timber out of the wreckage indiscriminately or you may cause further collapse.

5.12 LADDER

A piece of equipment use by the rescue and fire party.

5.12.1 Uses of Ladder:-

1. Upper storey or basement.
2. Bridging a gap.
3. As a stretcher.
4. As a derrick.

5.12.2 Types of Ladder:

1. Short:- 8 to 10 Feet
2. Bamboo or wooden:- 18 to 20 feet
3. Extension:- 35 feet. There are two section one sliding on the other.

5.12.3 Angle of the ladder

- Should not be too great or too acute
- Placed at distance for the base of the wall equal to one-forth of the height.

5.12.4 Climbing a ladder

1. Keeping the body erected
2. Head up right.
3. Arms straight.
4. Placing the arch of the foot on the rung.

6. LAW AND ORDER

6.1 दिल्ली पुलिस का इतिहास

6.1.1 कोतवाल की स्थापनाः– सन् 1237 में दिल्ली का प्रथम कोतवाल श्री मालीकुल उमरा फकरूद्दीन को नियुक्त किया गया। उस समय बलबन का राज था तथा कैकोबाद और कैखुशराव के

राज में भी जारी रहा। कोतवाल का मुख्यालय राज पिथोरा के किले में था। जो आज महरौली है। 1297 ई0 में अलाऊद्दीन खिलजी ने मालिक अलौल मुल्क को नियुक्त किया। 1648 ई0 में शाहजहां ने खान को नियुक्त किया। 1857 के स्वतन्त्र संग्राम से पूर्व दिल्ली के कोतवाल पंडित गगोधर नेहरू को नियुक्त किया गया। वे प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के दादा थे जिनको 9000/- रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता था।

6.1.2 पुलिस की पुर्नस्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में:–

प्रथम कानून आयोग 1860 में नियुक्त किया गया। पंजाब प्रान्त के सम्मिलित होने के उपरान्त पुलिस को दो भागों में विभाजित किया गया थाा।

1. मिलिटरी प्रिवेन्टिव पुलिस
2. सिविल डिटेक्टीव पुलिस।

इन दोनों के कार्य विभिन्न थे परन्तु अत्याधिक खर्च की वजह से कई गम्भीर वाणिज्य समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा 1860 में पुलिस का पुनर्गठन का कार्य सर रोबर्ट मोन्टोस्वरी को दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्ट 1861 बन गया तथा पंजाब पुलिस के अर्न्तगत दिल्ली में थाना कोतवाली फैज बजारा, पहाड़गंज, सदरबाजार, सब्जी मंड़ी, महरौली, नांगलोई तथा शाहदरा थाने थे।

सन् 1912 में एक सुपरीटेन्डेंट पुलिस एक डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट 20 इंसपेक्टर 7 सब इंसपेक्टर 110 हैड कांसटेबल 985 कान्सटेबल 28 घुड़सवार होते थे जो अम्बाला रेन्ज के अन्तर्गत कार्य करते थे। जिनका ग्रामीण पुलिस हैडक्वाटर सोनीपत व बल्लभगढ़ था। सन् 1948 में यह संख्या दुगनी हो गई।

16.02.1948 को प्रथम IGP श्री डी0 डब्लू मेहता की नियुक्ति की गई उनके नीचे 855 Post और 8000 अफसर व जवान थे। Delhi Police Commission सन् 1968 में जस्टिस जी0डी0 खोसला के नेतृत्व में बैठाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और दिल्ली पुलिस एक्ट 1978, 01/07/1978 को लागू हो गया। प्रथम कमिशनर श्री जे0एन0 चतुर्वेदी आई0पी0एस0 बने। जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ सी0पी0 दिल्ली के पास आ गईं। 01/07/1978 को एक रेन्ज 6 जिले 22 सब डिविजन और 66 पुलिस स्टेशन थे।

आज तीन रेन्ज 11 जिले पुलिस, 55 सब डिविज़न एवं 169+ 5 =174 पुलिस स्टेशन हैं।

6.1.3 पुलिस शब्द का जन्म

- Greek Politeia State Administration
- Latin Policie Orgnised Govt. Civil Authority
- परिभाषाः– एक शहर में नागरिक अधिकारियों की संस्था।

6.1.4 दिल्ली पुलिस एक्ट 1978:

1978 एक्ट से पहले दिल्ली पुलिस, पुलिस एक्ट 1866, पंजाब लॉ एक्ट 1872 और मुम्बई पुलिस एक्ट 1951 के अन्तर्गत कार्य करती थी जो प्रर्याप्त नही थे इसलिए एक नये एक्ट की जरूरत सामने आई। इस कानून का विधेयक तब रखा गया जब ससंद का सत्र कार्यवाही में नहीं था। एक आध्यादेश के जरिये दिल्ली पुलिस एक्ट का विधेयक पेश किया गया। दिल्ली पुलिस विधेयक दोनों सदनों ने पास कर दिया और दिल्ली पुलिस विधेयक, दिल्ली पुलिस एक्ट 1 जुलाई 1978 को लागू हो गया। यह एक्ट दिल्ली पुलिस को कानून सम्बन्धित कार्य वाही करने की शक्ति प्रदान करता है।

6.1.5 पुलिस दल का प्रबन्धः– दिल्ली पुलिस का प्रबन्ध दिल्ली पुलिस एक्ट के अन्तर्गत केन्द्र प्रशासित दिल्ली के इंसपेक्टर जनरल पुलिस के पास है।

6.1.6 पुलिस के कर्तव्यः–

- यह निश्चित करे कि कानून व नियमों का पालन ठीक हो रहा है।
- उच्च अधिकारियों के नियमानुसार आदेशों का पालन वारन्ट की तामील व साक्षी (समन) की जारी करने की सेवा शीघ्र हो।
- शान्ती भंग होने व उत्पात को रोकने के लिए।
- असामाजिक तत्व व कानून तोड़ने वालों को पकड़े।
- दूसरे पुलिस अधिकारियों की सहायता करें अगर वे मांग करते हैं।
- निसहाय व अपंग लोगों की सहायता करे।
- पागल व नशे वाले व्यक्तियों को अपने कब्जे में रखे।
- पुलिस सुरक्षा में लोगों को सुविधाएं प्रदान करे।
- खोजबीन के समय अभद्र व्यवहार व दुखः व छेड़छाड़ से दूर रहे।
- औरतों व बच्चों से बहुत अच्छा व्यवहार करे।
- सम्पत्ति का नुकसान न होने दे।
- सड़क पर यातायात को नियमित करे।
- कानून व्यवस्था बनाये रखे।
- जिस सम्पत्ति का कोई हकदार ना हो उसका अधिग्रहण करे।
- कानून के अनुसार निर्देशों का पालन करे। सभी व्यक्तियों पर कानुन का पालन करना लागू हैं। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन करने में असफल रहता है तब पुलिस उसको 24 घण्टे तक हिरासत में ले सकती है।

6.1.7 जिला मजिस्टेट की शक्तियांः–कमिश्नर पुलिस जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है। जिसमें मुख्य Arms Act, Luancy Act, Explosive Act, ITP Act इत्यादि। कमिश्नर पुलिस अपनी शक्तियां हस्तानान्तरण कर सकता है।

6.2 (Patrolling) गश्त के समय आवश्यक बातेंः–

1. मौसम व हालात के अनुसार हथियार/व अन्य आवश्यक सामान जैसेः– टॉर्च, आदि।
2. अंधेरी गली में गश्त करना।
3. बीट में होने वाले अपराधों पर निगरानी व रोकथाम।
4. क्षेत्र के रास्तों की जानकारी।
5. खाली मकान व सुनसान जगह की निगरानी।
6. रात्रि में घूमने वाले व्यक्तियों से पूर्णतया पूछताछ।
7. गश्त के दौरान जोर–जोर से व अनावश्यक बातें न करना।
8. धूम्रपान आदि न करना।
9. रात्रि गश्त में Whistle का प्रयोग करना।

6.2.1 गश्त के समय बीट अधिकारी की ड्यूटिः–

1. अपराधियों पर नजर रखना।
2. सम्मन/वारण्ट को तामील कराना।
3. गैरकानूनी अड्डों पर नजर रखना।
4. गुटबन्दी/घड़ेबन्दी पर नजर रखना व थाना प्रमुख को तुरन्त सूचना देना।

5. जलसे/जलूसों व हड़ताल आदि का पता लगाना।
6. आवश्यक आपराधिक सूचनाएं इक्ठ्ठा करना।
7. पर्चा अजनवी (Stranger Roll) काटना।
8. वृद्ध दम्पत्ति व विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
9. Contact points बनाना, उनपर जाना व सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
10. अपराधियों की निगरानी जुआ घर, शराब के ठेके, वैश्यालय व अन्य आपराधिक स्थानों की निगरानी रखना और सरकारी प्रतिष्ठान, संवेदनशील स्थानों की जानकारी रखना व उचित तालमेल रखना।

6.3 POLICE STATION

थाना क्या है:– धारा 2 (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार थानों से अभिप्राय कोई चौकी या स्थान से है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट कई स्थानीय क्षेत्र भी हैं। समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपराध को रोके या उसको रोकने में कानून व पुलिस की सहायता करे। अपराधों को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस व्यवस्था बनाई गई है।

प्रत्येक व्यक्ति की समाज में यह जिम्मेदारी है कि वह कानुन के दायरे में रहकर अपराधों को रोके व अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करे। पंजाब पुलिस रूल के अन्तर्गत हर क्षेत्र को एक थाने के अन्तर्गत रखा गया है।

कमिशनर दिल्ली पुलिस ने निरीक्षक पुलिस को थाना अध्यक्ष बनाया है। वह थाने का सर्वे सर्वा है। जो सभी प्रकार के कार्यों की देख रेख करता है। उस की सहायता के लिए दो निरीक्षक तैनात किये है। (i) निरीक्षक कानून व्यवस्था (ii) निरीक्षक जांच इनकी सहायता के लिए उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हैड़ कान्सटेबल, कांसटेबल एवं चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। थाना 24 घण्टे 365 दिन कार्यरत रहता है। थाने में विभिन्न कमरे होते है जिनमें अलग–अलग कार्य होता है। जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **सूचना कक्ष (Reporting Room)** प्रतिबेदन कक्ष इस कक्ष में ड्यूटी अफसर बैठता है। तथा डेली डायरी जनरल डायरी केस रजिस्ट्रेशन यहां किया जाता है।
2. **संक्रमण कक्ष:–** (i) बैठक कक्ष जो कि ड्यूटी अफसर की नजर के सामने होना चाहिए।(ii) गवाहों की पूछताछ एवं शिकायत कर्ता के साथ बैठक की जाती है।
3. **रिकार्ड रूम:–** रिकार्ड रूम का इन्चार्ज (एम.एम. सी. आर.) होता है। इसकी सहायता के लिए दो या तीन कांसटेबल होते हैं। पंजाब पुलिस रूल के अर्न्तगत स्थाई रिकार्ड व रजिस्टर होते हैं। कुछ दूसरे रजिस्टर भी होते हैं, जो पी.पी.आर. में नहीं हैं। रिकार्ड मोहर्रर का कार्य है कि पुराने रिकार्ड की सूची तैयार करके जो जरूरी नहीं है उसको नष्ट करे।
4. **माल खाना:–** मालखाने का इन्चार्ज एम.एच.सी. होता हैं। सारी सम्पत्ति जो माल मुकदमा है। अपने चार्ज में लेगा। सभी हथियार व गोली इत्यादि उसके चार्ज में माल खाना में जमा होगी। सारा पैसा उसके पास होगा तथा तिजोरी में बंद होगा।
5. **थाना अध्यक्ष केरीडर का कक्ष** जिसमें दूरभाष व वायरलैस की सुविधा होती हैं तथा थाना अध्यक्ष को दैनिक जानकारी तथा दूरभाष से सम्पर्क कराना तथा उनकी अनुपस्थिति में कौन आया तथा किसने क्या रिपोर्ट मांगी इत्यादि की जानकारी देता है।
6. **संचार कक्ष नियंत्रण कक्ष** वायर लैस व दूरभाष की सेवा प्रदान करना हैं।
7. **थाने की सुरक्षा कक्ष** इस में सन्तरी थाने की निगरानी करता है।
8. **केसों की जांच के लिए कक्ष।**
9. **नायब कोर्ट व पैरवी अफसर का कक्ष।**
10. **बन्दी गृह** जिसमें विचाराधीन व्यक्तियों को बंद रखा जाता है।
11. **मैस कैन्टीन व री–कियेशन रूम** भी होता है। जिसमें खाने व पीने की व्यवस्था हो तथा मनोरंजन के लिए खेल का सामान व टी.वी. इत्यादि होता हैं।

कोर्ट के आदेशानुसार कानुन व्यवस्था व जांच के लिए अलग–अलग कक्ष दिये गये हैं। थाने के अर्न्तगत क्षेत्र को 4 या 5 डिविजनों में विभिक्ता किया हुआ होता है जिनमें पुलिस चौकी भी शमिल हैं। एक डिविजन में 2 या 3 बीट होती है। जिनकी देख रेख बीट अफसर करता है।

थानों की कार्य–प्रणाली सुचारु रुप से चलाने के लिए निम्न अधिकारी/कर्मी कार्य करते हैंः–

1. **थाना प्रमुखः–** धारा 2 (ण) द.प्र.सं. के अनुसार जब पुलिस थाना का थाना अधिकारी थाना से बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तब थाना में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो थाना प्रमुख के पद का हो और सिपाही से उपर के पर का होतो राज्य सरकार ऐसा आदेश दे तब उपस्थित पुलिस अधिकारी थाना प्रमुख होगा।

थाना प्रमुख की ड्यूटीज़

P.P.R.22.1 के अनुसार थाना प्रमुख की निम्न डयूटियां है।

(i) कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
(ii) थाना के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना।
(iii) अपराधों की रोकथाम
(iv) थाना के तमाम रजिस्टर/रिकार्ड का ठीक तरह से रख–रखाव करना।
(v) अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देना तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
(vi) थाना क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान रखना।
(vii) जन–सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित तालमेल रखना।
(viii) अधीनस्थ एंव वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करना।
(ix) थाना क्षेत्र के अपराधियों व शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखना।
(x) पड़ौसी थानों से तालमेल रखना/व सूचनाओं का आदान प्रदान करना।

2. **रीडर (थाना प्रमुख हेतु) (Reader for S.H.O.):-** (P.P.R.22.4) के प्रत्येक थाना प्रमुख की सहायतार्थ पत्राचार करने हेतु एक शिक्षित थाना प्रमुख के रीडर के रुप में कार्य करेगा।
3. **रजिस्ट्रर न. 5-B का अधिकारीः–** न्यायालय से प्राप्त होने वाले सम्मन/वारन्ट की तामील करने हेतु एक प्रधान सिपाही को तैनात किया जाता है जो इस बारे में एक रजिस्ट्रर जिस सम्मन/वारन्ट का पूरा लेखा जोखा रखेगा। इसकी सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार सिपाहियों को भी लगाया जाता है।
4. **सन्तरीः**-P.P.R.22.10 के अनुसार थाना की सुरक्षा के लिए एक हथियार सिपाही तैनात किया जाएगा जो हवालात में बन्द अपराधियों व थाना की सुरक्षा का जिम्मेवार होगा।
5. **नायब कोर्ट***:* - थाना प्रमुख 5-B अधिकारी व न्यायालय के बीच कड़ी का काम करने एक सिपाही तैनात करता है जो थाना के मामलों की पैरवी करता है तथा सम्मन/वारन्ट न्यायालय से लाता है।
6. **Collector Duty**:- थाना में एक सिपाही को C.R.O. से पत्राचार एंव अन्य आवश्यक सूचनाएं लाने ले जाने के लिए तैनात किया जाता है।

6.3.1 पुलिस स्टेशन में बनाये जाने वाले रजिस्टर

□

☐ हर नागरिक शान्ति से जीवन यापन करना चाहता है। अपराधी प्रकृति के लोग इसका फायदा उठाते है तथा अपराध में लिप्त हो जाते है। अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में व चौकी में अपराध व अपराधियों का रिकॉर्ड रखना पुलिस का कार्य है हरन राज्य की पुलिस इन अपराधियों का रिकार्ड अपने अपने तरिके से रखती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ व दिल्ली में पंजाब पुलिस रूल के अनुसार रिकार्ड रखा जाता है।

☐ पंजाब पुलिस रूल की धारा 22.45 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 25 रजिस्टर रखे जात है। पुलिस स्टेशन के सभी रजिस्टरों को कुल 51 भागों में तैयार किया जाता है। पुलिस स्टेशन में रखे जाने वाले रजिस्टरों का वर्णन निम्न प्रकार से है।

रजिस्टर नं0 1.: प्रथम सूचना रिर्पोट रजिस्टर (FIR Register):- यह रजिस्टर पुलिस रूल की धारा 22.47 के अनुसार फार्म नं0 24.5(1) छाया शुदा फार्मों पर तैयार किया जाता है। यह पुलिस स्टेशन का पक्का रिकार्ड होता है। यह रजिस्टर 200 पृष्ठ का होता है इसके चार पृष्ठों पर एक ही नम्बर होता है। प्रतिवर्ष नया रजिस्टर लगाया जाता है। प्रतिवर्ष सूचना का क्रमांक एक से शुरू होता है। जब तक एक रजिष्टर पूरा नहीं होता तब तक दूसरा रजिस्टर शुरू नहीं किया जाता। प्रथम सूचना का लिखना भारतीय प्रक्रिया सहिता (CRPC) 154 के अनुसार पुलिस थाना प्रबन्धक या उसके अधीन किसी अन्य अफसर द्वारा किया जायेगा। यह रजिस्टर दो भागों में तैयार किया जाता है पहला भाग फार्म नं0 25.54(1) पर जब कि दूसरा भाग फार्म नं0 24.9 पर तैयार किया जाता है। रजिस्टर एक मिलिट्र छावनी एरिया में किया जाता है।

रजिस्टर नं0-2: (रोजनामचा): यह रजिस्टर पुलिस रूल 22.48 के अनुसार फार्म 22.48(1) तथा पुलिस एक्ट नं0 5 सन् 1861 की धारा 44 के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें कुल 200 पृष्ठ होते है। जिसमें 100/100 पेजे डुपलिकेट होते है। इसमें कार्बन पेपर द्वारा दो कापी निकलती है जो रिकार्ड के लिए आवश्यक है एक कापी पुलिस अधीक्षक को भेज दी जाती है। रोजनामचा आरम्भ करने से पहले रजिस्टर के पृष्ठों पर नम्बर अंकित करते है, और एक राजपत्रित अधिकारी सत्यापित करता है। रोजनामचा प्रबन्ध थाना, लाइन प्रबन्ध या मुहर द्वारा तैयार किया जाता है, यह रोजनामचा 24 घण्टे चालू रहता है। प्रत्येक सूचना को एक अलग क्रमांक दिया जाता है। सूचना खत्म होने पर एक सीधी लाइन खीचीं जाती है। रोजनामचा प्रारम्भ करते समय उन सब व्यक्तियों के पूरे विवरण सहित रिर्पोट दर्ज की जाती है कि किस अपराध में पुलिस हिरासत में है।

जमानत पर है या जुडिशियल में बन्द है अन्तिम रिर्पोट में मौजूद धनराशि का विवरण सहित वर्णन किया जायेगा कि कितनी धनराशि थाने में उपलब्ध है। पुलिस एक्ट के अनुसार निम्न बातें भी लिखी जानी चाहिएः–

- (i) पशु पुलिस कब्जे में 356(5)
- (ii) भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार शर्तिया रिहाई कैदी थानें में हाजिर होने की तिथि इत्यादि।
- (iii) पुलिस विभाग में भर्ती
- (iv) मुख्य सिपाही हैड कान्सटेबल की गार्ड ड्यूटि या किसी केस की तफतीश की सूचना।
- (v) फाटक पशु बन्द करने व छोड़ने पर वसूल जुर्माना।
- (vi) पुलिस थाने में प्राप्त कुड़क सम्पत्ति का व्यौरा।
- (vii) पुलिस रूल 24.3 के अधीन संजेय अपराधी की सूचना।
- (viii) पुलिस रूल 23.32 के अनुसार दुश्मनी के आधार पर शान्ति भंग होने की सूचना।
- (ix) पुलिस रूल 21.3(4) के अनुसार चौकीदारों के आने की सूचना।
- (x) पुलिस रूल 26.10(7) के अधीन अन्य पुलिस जिलों से पुलिस की मांग की सूचना।
- (xi) यदि पुलिस थाना या हवालात से बाहर कैदी को निकालना हो, निकालने व वापिस बन्द करने की सूचना।
- (xii) कोई सम्मन या वारन्ट तामील कराने व वापसी भेजने की सूचना।
- (xiii) पुलिस रूल 22.15 तथा 22.18(2) के अनुसार माल मुकदमा तथा माल सरकार की चैकिंग रिपोर्ट
- (xiv) पुलिस रूल 22.71 के अनुसार स्थाई एडवांस से अधिक खर्च हो तो उसकी सूचना।

(xv) दफतर का समय समाप्त होने पर कोई सम्पत्ति दाखिल करें तो तहसील या खजाने में उसकी सूचना।

(xvi) थाने की चेस्ट में रखी नगदी की सूचना।

(xvii) भारतीय प्रक्रिया संहिता CPC 154 के अनुसार संक्षेप अपराध की सूचना तथा धारा 157 के अधीन कार्यवाही की सूचना।

(xviii) पुलिस स्टेशन में हर सप्ताह सोमवार को पेंडिंग रखे कागजात व उनके कारणों की सूचना।

रजिस्टर नं0 2 में पुलिस रूल 22.50 के अनुसार अगर कोई पुलिस अधिकारी जानते हुए झूठी बात की सुचना लिखता है वह बरखास्त किया जा सकता है। पुलिस नियम के अनुसार रोजनामचा में लिखी गई अन्तिम रिर्पोट के ठीक दो साल बाद रोजनामचा नष्ट कर दिया जायेगा।

पुलिस नियम के 22.52 *के* अनुसार जब कोई अफसर तबादला पर आता है या किसी अन्य स्थान पर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाये बरखास्त हो जाये, अस्पताल दाखिल हो जाये उसकी आमद रवानगी होती है।

रजिस्टर नं0 3:–(स्थाई व अस्थाई आदेश फाईल)*:* - यह दो भागों में तैयार किया जाता हैः–स्थाई आदेश फाईल व अस्थाई आदेश फाईल। स्थाई आदेश हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा होगी अस्थाई आदेश 2 वर्ष के बाद नष्ट किये जायेंगे।

रजिस्टर नं0 4:–(भगोडों का रजिस्टर): पुलिस नियम 22.754 के अनुसार रजिस्टर तीन भागों में तैयार किया जायेगाः– अपने थाने के केसों में भगोड़ों का**,** दूसरे के थानों के केसों में भगोंडों का, फौजी भगोंडों का रजिस्टर।

रजिस्टर नं0 5:– (पत्र व्यवहार रजिस्टर): पुलिस नियम 22.55 के अनुसार दो भागों में तैयार किये जाते है। पत्र व्यवहार रजिस्टर व सम्मान या वारन्ट रजिस्टर।

रजिस्टर नं0 6: (मिश्रित रजिस्टर): पुलिस नियम 22.56 के अनुसार तैयार किया जाता है इसको चार भागों मं विभाजित किया गया है। तस्दीक चाल चलन, जमानत पर पावेन्द व्यक्तियों का, कलन्दरों की फाईल, आकस्मिक भौतों की फाईल।

रजिस्टर नं0 7: (पशु फाटक रजिस्टर): पुलिस नियम 22.57 (1) के अनुसार छापा हुआ रजिस्टर होता है। इसके दो भाग होते है:- बन्दी बनाये गये पशुओं का, नकदी रजिस्टर।

रजिस्टर नं0 8:– (व्यस्क अपराधिक जन जातियों का रजिस्टर): यह बन्ध कर दिया गया।

रजिस्टर नं0 9:(ग्राम अपराध रजिस्टर) इसके पांच भाग हैः–

(i) ग्राम अपराध रजिस्टर
(ii) ग्राम अपराध पुस्तिका
(iii) ग्रामीण द्वारा किये गये अपराध
(iv) संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों द्वारा किये गये दावे का ब्यौरा
(v) खुफिया नोट बुक
(vi) सजा याफ्ता रजिस्टर

रजिस्टर नं0 10 (निगरानी)*:* - पुलिस नियम 22.61 के अनुसार तीन भागों में प्रदान किया जाता है।

(i) नं0 10 निगरानी
(ii) नं0 10 A पर्चा बदमास जारी
(iii) नं0 10 B पर्चा बदमासी प्राप्ती

रजिस्टर नं0 11:-(हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाईल इन्डैक्स)*:* - पुलिस नियम 22.62 के अनुसार यह रजिस्टर दो भागों में तैयार किया जाता है।

(i) हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाईल (क्रमानुसार)

(ii) हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाईल (वर्णमाला के अनुसार)

रजिस्टर नं0 12:(सूचना पत्र रजिस्टर): - पुलिस नियम के 22.63 के अनुसार दो भागों में तैयार किया जाता है।

(i) सूचना पत्र जारी करना।

(ii) सूचना पत्र प्राप्ति।

रजिस्टर नं0 13:– राय बुक (Minute Book): यह रजिस्टर पुलिस थाने का गुप्त रिकार्ड है। इस रजिस्टर में वरिष्ट अधिकारी इत्यादि अपना नोट या आदेश देना चाहे तो इसमें ही करेगें।

रजिस्टर नं0 14:(निरिक्षण रिपोर्टों की फाईल): पुलिस नियम 22.65 के अनुसार तैयार किया जाता है इस रजिस्टर में राजपत्रित अधिकारी द्वारा किए गए निरिक्षण की रिर्पोट की सूचि तैयार करके लगाई जायेगी।

रजिस्टर नं0 15: (जन्म व मृत्यु): पुलिस नियम 22.65 के अनुसार दो भागों में किया जाता है।

(i) मौत का

(ii) जन्म का

रजिस्टर नं0 16:(सरकारी कर्मचारी एवं सम्पत्ति) पुलिस नियम 22.67 के अनुसार यह रजिस्टर चार भागों में तैयार किया जाता है: -

(i) चौकीदार का

(ii) कर्मचारियों का

(iii) सरकारी माल का

(iv) थाने के क्षेत्रफल का

रजिस्टर नं0 17:(सरकारी कर्मचारी एवं सम्पत्ति): पुलिस नियम 22.67 के अनुसार यह रजिस्टर चार भागों में तैयार किया जाता है: -

(i) असलाह के लाइसेंसधारियों का

(ii) आबकारी के लाइसेंसधारियों का

(iii) विस्फोटक पदार्थो के लाइसेंसधारियों का

(iv) पैट्रोलियम पदार्थो के लाइसेंसधारियों का

(v) नशीले पदार्थों के लाइसेंसधारियों का

(vi) सरायों के लाइसेंसधारियों का।

रजिस्टर नं0 18:('रसीद असलाह की' रजिस्टर): पुलिस नियम 22.69 के अनुसार प्रिंटिड फार्म पर तैयार किया जाता है।

रजिस्टर नं0 19:(मालखाना का रजिस्टर): यह रजिस्टर पुलिस नियम 22.70 के अनुसार तैयार किया जाता है।

रजिस्टर नं0 20:(नकदी रजिस्टर) : यह रजिस्टर पुलिस नियम 22.71 के अनुसार तैयार किया जाता है यह दो भागों में होता है।

(i) विविध नकदी।

(ii) मदपेशगी।

रजिस्टर नं0 21:(राहदारी सर्टीफिकेट): यह पुलिस नियम 22.72 के अनुसार फार्म संख्या 10.17 पर तैयार किया जाता है।

रजिस्टर नं0 22:(रसीद बुक): पुलिस नियम 22.73 के अनुसार प्रिटिंड फार्म नं0 10.14(1) पर तैयार किया जाता है। प्रत्येक रसीद बुक में 100/100 डुप्लीकेट प्रतियाँ होती हैं।

रजिस्टर नं0 23:(गजट फाईल): पुलिस नियम 22.74 के अनुसार फाईल के रूप में तैयार किया जाता हे। सभी गजट जैसे पुलिस गजट, सी0आई0ए0 गजट व सी0आई0डी0 गजट उस गजट को थाने के रजिस्टर नं0 5 डाक रजिस्टर में लिखा जाता है इन पर डायरी नं0 लगता है तथा किस

फाईल में रखा गया है लिखा जाता है थाने के कर्मचारियों से सम्बन्धित गजट को पढ़ कर सुनाया जाता है। वार्षिक निरीक्षण में अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि गजट के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।

रजिस्टर नं0 24:(पुलिस रूल फाईल): पुलिस नियम 22.75 के अनुसार तैयार किया जाता है। पुलिस नियमावली के तीन Volume I II III होंगे तथा थाने में सुरक्षित तौर पर रखे जायेंगे अगर पुलिस नियम में कोई संशोधन होता है तो संशोधित प्रति चिपका दी जायेगी।

रजिस्टर नं0 25:(थाना प्रबन्धक का चार्ज नोट सम्बन्धी रजिस्टर): पुलिस नियम 22.76 के अनुसार सफेद कागज पर तैयार किया जाता है। यह थाना प्रबन्धक का खुफिया रजिस्टर होता है जिसमें उन सभी व्यक्तियों का नाम व पता दर्ज होता है जिनका नाम रजिस्टर नं0 9 भाग IV में नहीं लिखा गया हो, तथा कर्मचारियों की योग्यता, अयोग्यता तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जो उपयोगी सूचना देते है।

6.4 CROWD CONTROL

Crowd control is the controlling of a crowd, to prevent the outbreak of disorder and prevention of possible riot. It calls for gentler tactics than riot control.

6.4.1 अकस्मात भड़के दंगों को रोकने में पुलिस की भूमिकाः–

1. पर्याप्त बल Anti Riot Equipments के साथ तैनात करना।
2. आवश्यकतानुसार बल को हथियारों से लैस करना।
3. अन्य आवश्यक सामान जैसेः– क) गैस ख) पानी की बौछार (water Canon) ग) रबर बुलेट घ) अवरोधक सामान
4. Fire Brigade का प्रबन्ध करना।
5. Ambulance का प्रबन्ध करना।
6. आवश्यक रिर्जव बल का प्रबन्ध रखना।
7. सरकारी कार्यालयों पर आवश्यक बल तैनात करना।
8. आवश्यकतानुसार धारा 144 द.प्र.सं. की पूर्ण कार्यवाही करना।
9. Out Side Force को आवश्यक दिशा निर्देश देना।
10. अफवाहों को फैलने से रोकना
11. अपराधिक तत्वों पर निगरानी रखना एंव धर पकड़ करना।
12. तितर–बितर हो रही भीड़ को निकलने का पर्याप्त रास्ता देना।
13. कम से कम शक्ति को प्रयोग करना।
14. घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल भेजना।
15. जन सहयोग प्राप्त करना।
16. जन–साधारण में सुरक्षा का विश्वास जगाना।
17. धैर्य, साहस व निष्पक्षता से कर्तव्य पालन करना।
18. Peace Committee बनाना एंव सक्रिय करना।
19. सामान्य स्थिति होने तक पुलिस बल को तैनात रखना।
20. धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखना।
21. मृतक व्यक्तियों को तुरन्त पुलिस अभिरक्षा में लेना व उचित कानूनी कार्यवाही करना।
22. लाश को भीड़ के हाथ न लगने देना अन्यथा दंगे और भड़क सकते हैं।

6.5 RANK AND BADGES OF DELHI POLICE

Sl No	Delhi Police Post	Equivalent State Post	Rank & Badges
1	CP	DGP	Sword & Baton + Emblem
2	Spl CP	Addl DGP	Sword & Baton + Emblem
3	JtCP	IGP	Sword & Baton + Star
4	Addl CP	DIGP	3Stars + Emblem
5	DCP	SBP/SP	2Stars + Emblem
6	Addl DCP	Addl SP	1Star + Emblem
7	ACP	DUSP/ASP	3Stars
8	Inspector	Inspector	3Stars + Red&Blue Ribbon
9	Sub Inspector	SI	2Stars + Red&Blue Ribbon
10	Asst Sub Inspector	ASI	1Star + Red&Blue Ribbon
11	Head Constable	HC	Three strips
12	Constable	Ct	

6.6 महिलाओं को घरेलु हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005

घरेलु हिंसा को मानव अधिकार के मंच पर लाने में 1994 का वियना समझौता, बीजिग की घोषणा 1995 का महत्व पूर्ण सहयोग रहा है। संयुक्त राष्ट्र कमेटी ने एक कन्वेन्शन में महिलाओं के प्रति विभिन्नता को दूर करने की सिफारिश की है। इसी तथ्य के आधार पर भारत में घरेलु हिंसा को व्यापक तौर पर रोकने के लिए आम जनता का सहयोग चाहिए जो दिखता नहीं है। एक महिला के साथ अत्याचार, चाहे उसका पति या उसके पति के सम्बन्धी करते हैं तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 के अन्तर्गत अपराध है। इस अपराध को रोकने के लिए महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा बिल संसद में पारित किया गया। यह बिल दोनों सदनों से होकर भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया तथा 13 सितम्बर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति से महिलाओं को घरेलु हिंसा से सुरक्षा अधिनियम (एक्ट) 2005 बन गया।

6.7 "अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम" 1956
Immoral Trafficking (Prevention) Act,1956

सन् 1956 में एक्ट नं0 44 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 रखा गया जो दिनांक 26/01/1987 को लागू किया गया। वेश्यावृति से अभिप्राय है वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैगिंक शोषण या दुरूपयोग, और अभिव्यक्ति ''वेश्या'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा। इस एक्ट की कुल 171 धारायें है।

सजाः– 7 दिन से 7 वर्ष की कैद की सजा अपराध के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

7. TRAFFIC CONTROL (यातायात नियंत्रण)

7.1 The Delhi control of Vehicle and other traffic on roads and street Regulation, 1980.

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को संविधान के अन्तर्गत दिल्ली के ट्रैफिक को सही ढंग से चलाने, कंट्रोल करने तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कहा गया है।इन सभी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नर को उसे लागू करने का अधिकार भी दिया गया है।

Regulations:

They shall come into force with effect from 15th April, 1980.

Definitions

2 In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Cattle" includes elephants, camels, horse, asses, mules, sheep, goats and swine;

(b) "Vehicle" means a motor vehicle as defined in sub-section (13) of section 2 of the Motor Vehicles Act 1939 and includes bicycles, carts, pulled or pushed by hand or drawn or driven by an animal.

Parking of Vehicle

3 (1) No person shall cause any vehicle to halt or remain standing in any street or road or public place, except when held up by the Police for purpose of controlling traffic, at a distance greater than two feet from the edge of the kerb or where no pavement exists, the adge of the street or road. Provided that no such vehicles shall be kept standing for longer than necessary for taking in or setteing down a passenger or anything, except at authorized parking places.

(2) Parking of Vehicles within ten meters of a corner of a street or road or in such a position adjacent to any corner so as to obstruct or be dangerous to traffic or pedestrians, is prohibited.

(3) The Parking of Vehicles is prohibited in such roads or portion of roads as may be notified from time to time by the Deputy Commissioner of Police, Traffic, Delhi. Where parking is not prohibited, vehicles shall be parked in such a manner so as not to cause obstruction to the flow of traffic or pedestrian or as may be directed by a traffic policeman on duty.

(4) No vehicle shall be parked at or near a bus stop or terminus except at places specifically earmarked or allotted for this purpose.

7.2 IMPORTANT:

1. सड़क नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना हो सकता है व गाड़ी जब्त हो सकती है।
2. वाहन सही लेन में चलाएं व लेन बदलते समय स्पष्ट संकेत दें।
3. वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाऐं।
4. लाल बत्ती पर स्टाप लाइन से पहले वाहन रोकें।
5. सड़क संकेत व सड़क चिन्हों का पालन करें।
6. पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें क्योंकि सड़क पर उनका प्रथम अधिकार है।
7. गोलचक्कर पर दाईं ओर के वाहनों को पहले रास्ता दें।
8. अपने से आगे वाले वाहन से उचित दूरी बनाए रखें।
9. रात के समय व खराब मौसम में डिपर का प्रयोग करें।
10. नाबालिग को वाहन न चलाने दें।
11. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें।
12. वाहन की अगली सीटों पर बैठे व्यक्ति बैल्ट अवश्य बांधे।

13. दुपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति हेलमेट सही तरीके से बांधे।

हेलमेट दुर्घटना के समय हमारे सिर को भारी क्षति से बचाता है और हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है।मस्तिष्क को चोट पहुंचने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। याददाश खो सकता है। लकवा मार सकता है। अपंग हो सकता है। वगैरा–बगैरा..... हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट ही प्रयोग करें।

7.3 क्या आप जानते हैं ?: दिल्ली में मोटर वाहनों व जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सड़क प्रयोगकर्ताओं में पैदल यात्री बहुत अधिक संख्या में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित सुझावों को अपनाकर आप एक सुरक्षित पैदल यात्री बन सकते हैं।

(i) पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करें।
(ii) जहाँ फुटपाथ नहीं हैं वहाँ यातायात के विपरीत अर्थात् सामने से आने वाले वाहनों की तरफ चले।
(iii) यदि आप समूह में चल रहे हैं तो पंक्तिबद्ध होकर चलें।
(iv) सड़क पर गिरे छिलके, नाले के खुले ढक्कन इत्यादि का ध्यान रखें।
(v) पैदल पार पथ, भूमिगत पार पथ, उपरी पुल से ही सड़क पार करें।
(vi) यदि पैदल पार पथ मौजूद न हो तो उस जगह से सड़क पार करें जहां से दोनों तरफ का यातायात स्पष्ट दिखलाई दे।
(vii) कभी भी मुड़ने वाली सड़क से चलते हुए वाहनों के बीच या खड़े हुए वाहनों के बीच से सड़क पार न करें।
(viii) कभी भी सड़क विभाजक या लोहे की बनी जालियों (रैलिंग) के उपर से सड़क पार न करें।
(ix) कभी भी सड़क पर न खेलें।
(x) रात के समय हल्के रंग के वस्त्र पहन कर चलें जिससे वाहन चालक आपको आसानी से देख सकें।
(xi) जहाँ पैदल पार पथ संकेत बत्ती लगी हो वहां पर उसका ध्यान रखकर सड़क पार करें।

7.4 सुरक्षित सड़क पार करने के नियमः–

(i) सड़क के किनारे पर रुकें।
(ii) अपनी दाहिनी ओर देखें।
(iii) फिर अपनी बायीं ओर देखें।
(iv) दोबारा फिर अपनी दाहिनी ओर देखें।
(v) यदि सड़क पर कोई गाड़ी न आ रही हो तो सीधी सड़क पार करें।
(vi) सड़क पार करते समय कभी भी न दौड़ें।
(vii) सड़क पार करने में वृद्ध, अपंग, असहाय तथा बच्चों को सहयोग दें।

7.5 TRAFFIC OFFENCES AND PENALTIES

Sno.	Offence	Penal/Section	Amt
1	Red Light Jumping	119/177 MVA	100
2	Driving Left Hand Drive without Indicator	120/177 MVA	100
3	Improper and Obstructive Parking	122/177 MVA	100
4	Travelling on Running Board (Driver)	123(1)/177 MVA	100
5	Travelling on Running Board (Passenger)	123(2)/177 MVA	100
6	Triple Riding	128/177 MVA	100

7	Driving without Helmet	129/177 MVA	100
8	Not Displaying Number Plate	50/177 MVA	100
9	Misbehaviour by TSR/Taxi Driver	11.3/177 MVA	100
10	Over Charging by TSR/Taxi	11.8/177 MVA	100
11	Refusal by TSR/Taxi Driver	11.9/177 MVA	100
12	Driving without Light (After Sunset)	105/177 MVA	100
13	Driving without Horn	119(1)/177 MVA	100
14	Driving without Silencer	120/190(2) CMVR	100
15	Driving with a Defective Number Plate	50/177 MVA	100
16	Violation of Stop Line	113(1)/177 MVA	100
17	Disobeying Lawful Directions	132/179 MVA	1000
18	Allowing unauthorised person to drive	5/180 MVA	1000
19	Driving without Licence	3/181 MVA	500
20	Driving by Minors	4/181 MVA	500
21	Over Speeding (1st Offence)	112/183(1) MVA	400
22	Over Speeding (Subsequent Offence)	112/183(1) MVA	300
23	Abetment of Over Speeding	112/183(2) MVA	300
24	Driving Dangerously (1st Offence)	184 MVA	1000
25	Using `Unregistered Vehicles' or Displaying "Applied for"	39/192 MVA	2000
26	Violation of Restriction of Time on HTV's/Care on Various Roads	115/194 MVA	2000
27	Violation of mandatory signs (One Way No Right Turn, No Left Turn, No Horn)	119/177 MVA	100
28	Excess Smoke	99(1)(a)/177 MVA	100
29	Blowing of Pressure Horn	96(1)/177 MVA	100
30	Conductor without Uniform	23(1)/177 MVA	100
31	Driver without Uniform	7/177 MVA	100
32	Conductor without Badge	22(1)/177 MVA	100
33	Carrying Passengers on Goods Vehicles	84(2)/177 MVA	100
34	Carrying Goods on Passengers Vehicle	84(3)/177 MVA	100
35	Use of Coloured Light on Motor Vehicle	97(2)/177 MVA	100
36	Smoking in the Vehicles	86.1(5)/177 MVA	100
37	Using Mobile Phone while Driving	184 MVA	1000
38	Wrong Overtaking	6(1)RRR/177 MVA	100

7.5.1 Offences for Which Only Court Challans Shall Be Made:

1. Drunken Driving (Breath Test) is permissible evidence u/s 03) 185
2. Using vehicle without permit (for Commercial Vehicles) 192A

Abbreviations:

MVA: Motor Vehicle Act, 1988
CMVR: Central Motor Velhicles Rules, 1989
DMVR: Delhi Motor Vehicles Rules, 1989
RRR: Rules of Road Regulation, 1989
RWP: Rank_wise Prosecution

7.6 ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के एम.वी.एक्ट में अधिकार

1. **धारा– 130** किसी भी वाहन चालक के लाइसेंस व गाड़ी के कागज चैक करने का अधिकार।
2. **धारा– 136** ऐसा प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसको राज्य सरकार अधिकृत करे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का निरीक्षण करने का अधिकार हैं।
3. **धारा– 200** नकद चालान करने का अधिकार
4. **धारा– 201** जब कोई चालक धारा– 184,185 और 197 मोटर वाहन अधिनियम का उल्लघंन करे उस चालक को गिरफ्तार करने का अधिकार
5. **धारा– 203** शराब पिए हुए ड्राइवर का मुआयना, बैथ एनलाईजर (सांस निरक्षण यन्त्र) से करने का अधिकार।
6. **धारा– 204** किसी भी अस्पताल में शराब पिए हुए व्यक्ति की जांच का अधिकार।
7. **धारा– 206** किसी भी गाड़ी का पेपर कब्जे में लेने का अधिकार।
8. **धारा– 207** किसी भी गाड़ी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार।
9. **धारा– 209** चेतावनी देने का अधिकार

7.7 चालान: यातायात को सुचारु रुप से चालू रखने के लिए, सड़क सुरक्षा बनाने में और दुर्घटनाओं को रोकने में चालानों की महत्वपूर्ण भूमिका है चालानों के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियमों की जानकारी चालकों तथा सड़क का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को देकर उनसे कठोरता से पेश आकर दी जाती है।

मोटर वाहन अधिनियमों के नियम व उपनियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किये जाते हैं ताकि दुर्घटनाएं कम हो तथा उन अधिनियमों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सके। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता आये तथा जनता इनके महत्व को समझे। विशेष रुप से वाहनों के मालिक व चालक सावधानियाँ बरतें तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें।

चालान दो प्रकार के होते हैं–

(i) **नकद भुगतान चालान**– इस चालान में उप–निरीक्षक रैंक व इससे उपर के अधिकारी द्वारा चालान करने के बाद अगर वाहन चालक आपने चालान का नकद भुगतान करना चाहता है तो वह नकद चालान कर देगा।

(ii) **कोर्ट चालान**– इस चालान में यातायात पुलिस का कोई भी अधिकारी कोर्ट का चालान कर सकता है। इस चालान के अनुसार अगर वाहन चालक अपना चालान नकद न देकर कोर्ट में जाकर देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का चालान कोर्ट का कर दिया जायेगा। कागज लेकर उसे एक प्रति देकर कोर्ट दिनांक दे दी जाती है और उसी दिनांक पर उपरोक्त व्यक्ति की सम्बन्धित कोर्ट में जाकर अपना चालान भुगत सकता है।

7.8 यातायात चालानों के उद्येश्य:

1. सड़क दुर्घटनाओं को रोकना
2. मोटर वाहन अधिनियमों को कठोरता से लागू करना।
3. सुचारु तथा सुरक्षित यातायात संचालन को बढ़ावा देना।

7.9 चालान करते समय सावधानियाँ:

1. चालान की तीन प्रतियाँ बनाई जायें। पहली प्रति सम्बन्धित न्यायलय को भेजी जायेगी, दूसरी प्रति यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले को दी जाये और अन्तिम प्रति अपने रिकार्ड में रखी जाये।
2. उन स्थानों पर ज्यादा चालान किये जाएं जहां पर दुर्घटनाएं अधिक होती हों।
3. उन स्थानों पर ध्यान दिया जाये जहां पर लोग बिना हैलमैट वाहन चलाते हैं।

4. उन स्थानों पर ध्यान दिया जाये जहां अधिक मात्रा में अनुचित ढंग से वाहनों को ठहराया जाता है अर्थात् जो स्थान पार्किंग स्थल नहीं हैं।
5. कार्यवाही करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वास्तव में किसी नियम का उल्लघंन हुआ है।
6. चालक को अपना वाहन सड़क के बायें किनारे पर खड़ा करने को कहें।
7. चालक का लाइसेंस देखें कि वह लाइसेंस वैद्य है फिर चालान करे यदि चालक का लाइसेंस अवैद्य है तो उसका चालान इस विषय में भी अवश्य करें।
8. मोटर वाहन चालक या वाहन चलाने वाले को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि उसने क्या अपराध किया है।
9. चालान करते समय चालक का नाम, पता, गाड़ी न., मेक तिथि, समय तथा स्थान का अवश्य विवरण दें।
10. चालान फार्म में उचित स्थान पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत चालान किया गया है अवश्य दें।
11. चालान पर चालक के हस्ताक्षर कराएं या अगूंठा अवश्य लगवाएं।
12. चालान की दूसरी प्रति चालक को अवश्य दें।

निजी वाहनों के चालकों के पास लाइसेंस, पंजीकरण, इश्योरेंस व प्रदुषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। व्यावसायिक वाहनों के चालकों के पास लाइसेंस, पंजीकरण, इंश्योरेंस, फिटनेस वाहन का परमिट व प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

7.10 जुर्माने की राशि

मोटन वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि मुकदमा चलाने के बाद या इससे पहले सक्षम अधिकारी के द्वारा जुर्माना लगाया जाये। जुर्माने की राशि समय–समय पर सरकारी गजट में घोषित की जाती है। वे धाराएं जिनमें जुर्माना लिया जा सकता है, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182(1), 183, 183(2), 184, 186, 189, 191, 192, 194, 196 और 198 हैं।

जुर्माना अदा कर देने के बाद कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि कोई व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है तो उसे छोड़ दिया जायेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति तुरन्त जुर्माने का पैसा देगा तथा आगे की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। यदि वह उसी जगह पर उसी समय जुर्माने की राशि अदा नहीं करता तो वह न्यायालय में जा सकता है लेकन उस अपराध के विषय में जो उस पर लगाया गया है, न्यायालय में जाने से पहले उस अधिकारी के पास, जिसने उसका चालान किया है उपना लाइसेंस या अन्य वाहन सम्बन्धी पत्र अवश्य जमा करने होंगे।

7.11 INDIAN PENAL CODE (भारतीय दण्ड संहिता)

भारत के लिए एक सामान्य सर्वमान्य दण्ड संग्रह को निर्मित करना आवश्यक है अतः इसे निम्न अनुसार अधिनियमित लागू किया जाता है भारतीय दण्ड संहित में आई पी.सी में **कुल धाराये 511** हैं:

धारा 1: संहिता का नाम और इसके कियान्वित होने का विस्तार। यह एक्ट अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू –कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा।

धारा 2: भारत के भीतर किये गये अपराधों का दण्ड। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के किसी नियत उपबन्ध के विरूद्ध भारत में किसी कार्य को करने या कार्यलोप न करने के लिए दोषी पाया जाये तो वह इसी संहिता के आधीन दण्डनीय होगा ना कि किसी अन्य कानून के अन्तर्गत।

धारा 3: उन अपराधों के लिए दण्ड जो भारत से बाहर किये हो परन्तु कानून के अनुसार भारत में विचारण किये जाने योग्य हो। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर किये किसी अपराध के लिए किसी भारतीय कानून के अन्तर्गत विचारण किये जाने योग्य हो तब भारत से बाहर किये उस अपराध के लिए इस संहिता के उपबन्धों के आधीन वह व्यक्ति उसी प्रकार दण्डनीय होगा जैसे कि वह अपराध भारत के अन्दर किया गया हो।

धारा 4: भारत से बाहर देशों में किये गये (राज्य क्षेत्रतीत) अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबन्ध आदेश किसी ऐसे अपराध पर भी लागू होगें जो कि–

(i) भारत के बाहर तथा उससे परे किसी स्थान पर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किया जाये।

(ii) भारत में रजिस्ट्रीकृत किये गये जलपोत या वायुयान पर, चाहे वह जलपोत या वायुयान कही पर भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाये।

- ☐ **स्पष्टीकरणः–** इस धारा में 'अपराध' शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य शामिल (आता) है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अन्तर्गत (अधीन) दण्डनीय होता है।

धारा 5: ऐसी विधि या कानून जिन पर इस संहिता का प्रभाव न होगा। इस एक्ट (अधिनियम) की कोई बात भारत सरकार की सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों (आफिसरो), सैनिको, नौसैनिको, वायुसैनिको द्वारा विद्रोह करने और उनके द्वारा नौकरी छोड़ने (नौकरी से भागने) पर दण्डित करने वाले किसी अधिनियम एक्ट या किसी स्थानीय या विशेष विधि (कानून) के उपबन्धो (आदेशो) पर अपना प्रभाव नहीं डालेगी।

- ☐ **दण्ड (सजायें):–** इस संहिता के उपबन्धो के अधीन अपराधियो की दी जाने वाली सजाएं दण्ड इस प्रकार है।

(i) मृत्यु दण्ड
(ii) आजीवन कारावास (उम्र कैद)
(iii) कठोर (सश्रम या कडी कैद) कारावास
(iv) साधारण (सादा) कारावास
(v) सम्पत्ति की जब्ति
(vi) जुर्माना

धारा 141: सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। अवैध समूह विधि विरूद सम्मेलन, गैर कानूनी जमात अवैधानिक समूह विधि विरुद्ध जमाव,पांच या पांच से अधिक वयक्तियों का वह जमाव सम्मेलन विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है।

धारा 146: बलवा (Rioting) बलवा–146 हंगामा–159 हमला–351: जब किसी विधि विरूद्व जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसा जमाव (सम्मेलन) के सामान्य उद्वेश्य को अग्रसर करने में (पूरा करने में) बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सम्मेलन का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का अपराधी समझा जाएगा।

(i) बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है।
(ii) बलवा करने के लिए कम से कम पॉच व्यक्तियों का होना जरूरी है।
(iii) बलवा करते समय लोक सार्वजनिक शांति भंग हो भी सकती है।
(iv) विधि विरूद्व जमाव का प्रत्येक सदस्य उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होगा चाहे उसने हिंसा का प्रयोग किया गया हो या नही।
(v) बलवा करने के लिए तैयारी करना शामिल है।
(vi) इसमें एक पक्ष या दोनो पक्ष अपराघी हो सकते है।
(vii) यह संज्ञेय अपराध है।
(viii) इसकी परिभाषा धारा 146 में तथा दण्ड 147 के अनुसार दिया जाता है।

धारा 171–बी: रिश्वत (Bribery): स्वंय अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई इनाम किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग में लाने या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार का प्रयोग लाने के लिए उत्प्रेरित सहमत करें या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्राप्त करता है वह रिश्वत लेने का अपराध करता है।

- ☐ **रिश्वत के लिए दण्डः**–जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 191: झूठी गवाही देना: कोई व्यक्ति शपथ द्वारा या किसी अन्य प्रचलित कानून के उपबन्ध द्वारा सत्य कथन (सच्चा बयान) देने के लिए या कानूनन किसी विषय पर वयान देने के लिए बाध्य होते हुए झूठा बयान देता है या ऐसा बयान दें जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा होने का विश्वास करता है या वह उसे सच न मानता हो तो उसके लिए कहा जायेगा कि उसने झूठी शहादत दी है।

धारा– 193 दंण्ड प्रतिक्रिया: जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी क्रम में झूठी गवाही देगा या कोई झूठी गवाही इस प्रयोजन से बनाये की वह न्यायलय की किसी कार्यवाही के किसी क्रम में प्रयोग मे लाई जा सके तो उसे दोनो में से किसी भांति के सात वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है और काई किसी अन्य मामले में जानबूझकर झूठी गवाही देगा या तैयार करेगा तो वह दोनो में से किसी भांति के तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 279: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन (बेतहाशा) से गाडी चलाना। जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन (तेजी) से या लापरवाही (उपेक्षा) से किसी गाडी को चलाएगा या सवार होकर हाकेगा, जिससे मनुष्य की जान (जीवन) को खतरा हो या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाने की सम्भावना हो तो वह दोनो में से किसी भांति के छः मास तक की अवधि के कारावास या एक हजार रूपये तक जुर्माना या दोनो सजाओं से दण्डनीय होगा।

धारा 300:- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध: ज्ञात घात (कत्ल–हत्या (Murder) – उन अवस्थाओं (दशाओं) को छोड़कर जो नीचे अपवाद के रूप में दी गई है, अपराधिक मानव वध (ज्ञातवत घात) हत्या है।

(i) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु की गई हो, मृत्यु करने की नीयत (आशय) से किया गया है।

(ii) यदि वह कार्य ऐसी शारीरिक क्षति (चोट) पहुॅचाने के आशय से किया गया है जिसके बारे में अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की सम्भावना है, जिसको हानि पहुंचाई गई हो।

(iii) यदि वह कार्य किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति (चोट) पहुंचाने की नीयत से किया गया है और शारीरिक क्षति (चोट) जिसको पहुॅचाने का आशय है स्वाभांवत मृत्यु (प्रकृति के साधारण क्रम से मृत्यु या सामान्य मौत) करने के लिए काफी है।

(iv) यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना आशक्त संकट (खतरनाक) है कि उससे मृत्यु होने या ऐसी शारीरिक (चोट) पहुॅचाने की पूरी–पूरी सम्भावना है कि उससे मृत्यु होना निश्चित है और वह ऐसा कार्य किसी ऐसी वजह (कारण) के बिना किया हो, जिससे मृत्यु करने या उपरोक्त क्षति (चोट) का पहुंचाना उचित ठहराया जा सके।

धारा–349–बल प्रयोग (Use of Force)

(i) अपनी (स्वयं की) निजी शक्ति शारीरिक बल द्वारा।

(ii) किसी पदार्थ (वस्तु) के प्रकार के व्ययन द्वारा कि उसके (स्वयं) अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता उत्पन्न होता हैं

(iii) किसी जीव–जन्तु (जानवर) को गतिमान होने (गति करने), गति–परिवर्तन करने या गतिहीनता होने (गति रोकने) के लिए उत्तेजना द्वारा।

धारा 390: लूट (Robbery): हरेक चोरी लूट है। यदि चोरी करने के लिए या उस चोरी के करने में या चोरी द्वारा प्राप्त सम्पति को ले जाने में या ले जाने का प्रयास करने में अपराधी उस उद्देश्य से जान बूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या चोट पहुँचाने या उसका सदोष अवरोध करने या तत्काल मृत्यु करने का भय दिखलाने या भय दिखलाने का प्रयत्न करें उसे लूट कहते है।

- ☐ **स्पष्टीकरणः–** यदि अपराधी उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट पहुँचाने या तत्काल सदोश अवरोध करन के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट (नजदीक) है तो उसके लिये यह कहा जाएगा कि अपराधी वहां उपस्थित (मौजूद) था।
  - (i) प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्‌यापन शामिल होता है।
  - (ii) लूट चोरी या उद्‌यापन का एक उत्तेजनात्मक रूप होता है जिससे लूट की जाने वाली सम्पति अपराधी द्वारा मालिक की रजामन्दी से ली जाती है।
  - (iii) लूट में अपराधियों की संख्या पाँच से कम होती है अर्थात् अधिकतम चार व्यक्ति हो सकते है।

धारा 391: डकैती (Dacoity): जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर (मिलकर) लूट करते है। या लूट करने का प्रयत्न करते है या जबकि वे व्यक्ति, जो लूट करते है या करने का प्रयत्न करते है और वे व्यक्ति, जो वहाँ मौजूद हो और लूट करने में या लूट करने के प्रयत्न में सहायता करते है, उनही संख्या पांच या अधिक है, तब इस प्रकार लूट करने या लूट का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा जाएमा कि वह ''डकैती'' करता है।

- (i) प्रत्येक डकैती में लूट शामिल होती है लेकिन सदस्यों की संख्या पांच या पाँच से अधिक होती है।
- (ii) डकैती में किसी प्रकार की सहमति नहीं होती और यदि कोई सहमति (रजामन्दी) दी भी जाती है तो वह भय के कारण दी जाती है या अनुचित रीति द्वारा प्राप्त की जाी हैं।
- (iii) डकैती में अपराधियों की संख्या पाँच या पाँच से अधिक होती है।
- (iv) डकैती लूट का विस्तृत रूप है।
- (v) डकैती के अपराध के लिए धारा 395 में दण्ड नियम किया गया है।

धारा 395: डकैती के लिए दण्ड: जो कोई डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक की अवधि तक के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 415: छल (Cheating): कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से धोखा करके उस व्यक्ति को जिससे धोखा किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से राजी करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को दे या यह रजामन्दी दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे या जानबूझ कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार धोखा किया गया है कि वह कोई कार्य करे या करने की उपेक्षा करे, जिसे वह यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया होता तो वह न करता या करने का कार्यलोप न करता और जिस कार्य या सम्पत्ति सम्बन्धी नुकसान या उपहानि पहुंचे या पहुंचाने की सम्भावना हो तो उसने छल किया है।

स्पष्टीकरणः– तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थों के अन्तर्गत छल करना है।

7.11.1 सामान्य अपवाद GENERAL EXCEPTIONS

भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 76 से धारा 106 तक सामान्य अपवाद है। अर्थात् अपराध नहीं है।

<u>धारा 76</u> कानून द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तथ्य की मूल के करण अपराध नहीं है।

<u>धारा 77</u> न्याय करते समय न्यायधीश का कार्य।

<u>धारा 78</u> न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया कार्य।

धारा 79 ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो उसे करने के लिए कानून अधिकारी हो।

धारा 80 किसी न्यायपूर्ण कार्य करने में दर्घटना।

धारा 81 वह कार्य जिससे हानि होने की सम्भावना हो किन्तु अपराधिक आशय के बिना अन्य हानि को रोकने के लिए किया गया हो।

धारा 82 सात वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य।

धारा 83 सात वर्ष से अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य।

धारा 84 पागल व्यक्ति का कार्य।

धारा 85 अपनी इच्छा के विरुद्ध नशें में होने के कारण निर्णय।

धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा नशे में किया गया अपराध जिसमें नियत या ज्ञान का होना अपेक्षित है।

धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गम्भीर चोट पहुंचने का आशय न हो उसकी सम्भावना का ज्ञान नहीं।

धारा 88 किसी व्यक्ति की नेक नियती से उसके लाभ के लिए किया गया कार्य जिसमें मृत्यु करने का आशय न हो।

धारा 89 संरक्षक द्वारा या सम्पति से किसी बच्चे व पागल व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य।

धारा 90 सम्पत्ति जिसके बारे में विदित (पता) है। वह भय के अधीन की गई है।

धारा 91 ऐसे कार्य जो स्वयं स्वत्रंत रूप से अपराध है। धारा 87ए88 और 89 के अपराधों का विस्तार उन कार्यों तक नहीं है। जो उस हानि के बिना स्वयं अपराध है गर्भपात करना उस स्त्री की सहमति के बिना तब तक जब तक उसकी जान के लिए आवश्यक ना हो।

धारा 92 सम्पत्ति का बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्ण किया गया कार्य।

धारा 93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। कोई सूचना नेक नीयत से दी गई हो और उससे किसी की हानि हो तो वह अपराध नहीं है।

धारा 94 धमकी से विवश होकर किया गया कार्य कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा मौत के डर से करवाया जाये। धमकियों द्वारा विवश किया जाये जैसे किसी को सेफ तोड़ने के लिये धमकाया जाये जो कानूनन अपराध है। इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है।

धारा 95 तुच्छ हानि करने वाले कार्यः– बाग से फूल तोड़ना मक्की के खेत से भुट्टा तोड़ना इत्यादि अपराध, अपराध नहीं है।

धारा 96 प्राइवेट व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में किये गये कार्य।

धारा 97 शरीर तथा सम्पति की रक्षा का अधिकार।

धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार है जो पागल हो।

धारा 99 ऐसे कार्य जिनके विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जिन कार्यों से मृत्यु या गम्भीर चोट पहुंचने की आशंका उचित रीति से पैदा न हो तो उस कार्य के विरूद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

धारा 100 जब शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक होता है।

(i) जिसमें मृत्यु की आशंका हो।

(ii) गम्भीर चोट।

(iii) बलात्कार की नीयत।

(iv) अप्राकृतिक कामवासना।

(v) किसी व्यक्ति को भगा ले जाना।

(vi) किसी व्यक्ति को बन्दी बना कर रखना।

धारा 101 जब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि पहुँचाने तक होता है।

धारा 102 शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक होता है। शरीर पर हमला होने की आशंका के विरूद्ध कार्यवाही करना अपराध नहीं।

धारा 103 जब सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक होता है।

(i) लूट।

(ii) रात्री में सेंध लगाना।

(iii) ऐसी हानि, जो आग लगाकर किसी ऐसी इमारत, खेमे या जलयान में की गई हो जो मनुष्य के रहने या सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के रूप में उपयोग में लाया गया हो।

(iv) चोरी, हानि, अनाधिकृत प्रवेश इत्यादि में।

(v) विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके डकैती भी इसमें शामिल है।

धारा 104,105,106: प्राणघातक हमले के विरूद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जब किसी निर्दोष व्यक्ति की हानि होने का जोखिम हो। भीड़ पर गोली चलाने का आत्मरक्षा का अधिकार है।

8. COMMUNICATION

8.1 MESSAGE WRITING

8.1.1 सन्देश लिखने के लिये हिदायतें:–

1. सन्देश कम से कम शब्दों मे सही तथा स्पष्ट हो।

2. यदि किसी कॉलम में कोई सूचना नहीं हो तो वहां पर NIL लिखें।
3. साफ–साफ तथा स्पष्ट भाषा में लिखें।
4. सन्देश को प्रमुखता के आधार पर लिखें।
5. यदि सन्देश को भेजे चौबीस घण्टे हो गये हों तो उसके बारे में सम्बधिंत अधिकारी को दुबारा याद दिलायें।
6. यदि सन्देश रात के ठीक बारह बजे का हो तो उसके लिये समय 0000 लिखें तथा दोनों तिथियाँ लिखें।
7. यदि सन्देश में दिशाओं को लिखना हो तो पहले हमेशा उत्तर दिशा का उल्लेख करते हुए घड़ी की सुई का चाल की अनुसार दिशाऐं दर्शायें।

8.1.2 सी डी एम फार्मो का प्रयोग (Use of C.D.M Forms):–

1. सन्देश भेजने वाले को नियंत्रण में रखने के लिये।
2. सन्देश भेजने वाले को उसकी सीमा का ज्ञान कराने के लिये।
3. समय की बचत के लिये।
4. सन्देश के आदान–प्रदान को सरल तथा सुगम बनानें के लिये।

8.2 रेडियों तथा लाइन पर बोलने के नियम (Rules for speaking on Radio or line)

कार्यविधि Procedure आधारित है।

1. संक्षिप्तता :–	BREVITY
2. यथातथ्यता :–	ACCURACY
3. सुरक्षा :–	SECURITY
4. गति :–	SPEED

8.3 रेडियो टेलीफोनी के सुनहरे नियम (Golden Rules of R/T)

1. लय :–	R-RHYTHM
2. गति :–	S-SPEED
3. प्रबलता :–	V-VOLUME
4. स्वर :–	P-PITCH

1. **लय** (R-RHYTHM)
   - (i) सन्देश को एक एक शब्द न बोलकर उसे समूहों में बोलना चाहिए।
   - (ii) रेडियो पर संचारण तभी करना चाहिए जब उस पर कोड शब्द या सिग्नल मिल जाये।
   - (iii) संचारण से पहले, बीच में, या बाद में E-R- का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

2. **गति** (S-SPEED)
   - (i) संचारण की गति शुरू से आखिर तक एक ही रखनी चाहिये।
   - (ii) कम महत्वपूर्ण शब्दों को जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिये।
   - (iii) यदि सन्देश लेने वाले को सन्देश लिखना हो, तो शब्द समूहों के बीच दीर्घ विश्राम रखना चाहिए।

3. **प्रबलता** (V-VOLUME)

(i) संचारण करने वाले को संचारण करते समय साधारण बातचीत की अपेक्षा ऊँची आवाज में बोलना चाहिये लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिये।
(ii) संचारण में प्रत्येक शब्द को सामान रूप से एक ऊँची आवाज में बोलना चाहिये। खास तौर पर अन्तिम शब्द को बोलते समय आवाज कम नहीं करनी चाहिये।
(iii) संचारण करते समय रेडियो से माइक्रोफोन को हमेशा होंठों के पास रखना चाहिये।

4. **स्वर** (P-PITCH)

(i) संचारण धीमे स्वरों की अपेक्षा तेज स्वरों में करना चाहिये।
(ii) स्वर समान बोल चाल की अपेक्षा तेज होने चाहियें।
(iii) सामान्य तौर पर शब्दों के अन्तिम स्वर धीमी आवाज में बोल दिये जाते हैं, पर संचारण में ऐसा नहीं करना चाहियें।
(iv) संचारण में RSVP का ध्यान रखना चाहिए।

8.4 स्वनिक स्वर (Phonetic Alphabets)

स्वनिक स्वर की आवश्यकता :

1. सन्देशों को सरल बनाने के लिए
2. सन्देशों को तेजी से भेजने के लिए
3. आपसी गलतफहमी को दूर करने के लिए
4. समय की बचत के लिए

8.4.2 स्वनिक स्वर (Phonetic Alphabets):

Letter	Code word	Pronunciation ICAO
A	**Alfa**	AL FAH
B	**Bravo**	BRAH VOH
C	**Charlie**	CHAR LEE or SHAR LEE
D	**Delta**	DELL TAH
E	**Echo**	ECK OH
F	**Foxtrot**	FOKS TROT
G	**Golf**	GOLF
H	**Hotel**	HOH TELL
I	**India**	IN DEE AH
J	**Juliett**	JEW LEE ETT
K	**Kilo**	KEY LOH
L	**Lima**	LEE MAH
M	**Mike**	MIKE
N	**November**	NO VEM BER
O	**Oscar**	OSS CAH
P	**Papa**	PAH PAH

Q	**Quebec**	KEH BECK
R	**Romeo**	ROW ME OH
S	**Sierra**	SEE AIR RAH
T	**Tango**	TANG GO
U	**Uniform**	YOU NEE FORM
V	**Victor**	VIK TAH
W	**Whiskey**	WISS KEY
X	**X-ray**	ECKS RAY
Y	**Yankee**	YANG KEY
Z	**Zulu**	ZOO LOO
(hyphen)	**Dash**	

Digit	**Code word**	**Pronunciation**
0	Zero	ZE-RO
1	One	WUN
2	Two	TOO
3	Three)	TREE
4	Four	FOW-ER
5	Five	FIFE
6	Six	SIX
7	Seven	SEV-EN
8	Eight	AIT
9	Nine	NIN-ER
100	Hundred	HUN-dred
1000	Thousand	TOU-SAND
. (decimal point)	Decimal	DAY-SEE-MAL
. (full stop)	Stop	STOP

8.5 CALL SIGN

रेडियो टेलीफोनी / काल साइन (रेडियो टेलीफोनी) / काल चिन्हों का प्रयोग

रेडियो टेलीफोनी के लिये सामान्य :– नागरिक सुरक्षा में संचारण प्रणाली के लिये रेडियो टेलीफोनी अधिकारियों तथा आपरेटरों के आपस में बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, रेडियो तथा लाइन में मुख्य रूप से निम्न लिखित अंतर है।

1. रेडियो को बीच में रोकना आसान है।

2. बेतार संचारण में वायुमण्डलीय अवरोध और अन्य स्टेशनों में अवरोध सम्भव है।
3. इनमें हमेशा एक साथ दोनो ओर से संचार की व्यवस्था नहीं होती है। केवल एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता हैं। अतः रेडियो टेलीफोनी बातचीत को सुरक्षित और सफल बनाने के लिये मानक कार्यविधि की निंरतर अभ्यास की आवश्यकता है। रेडियो सरकिट पर नागरिक सुरक्षा संदेशों का प्रसारण करते समय नागरिक सुरक्षा संगठन में मानक कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए इससे सरकिट का समय बचेगा, मस्तिष्क में अनुशासन की भावना पैदा होगी, भ्रांति और गलत फहमियां दूर होंगी।

रेडियो को प्रयोग करनें के लियें संकेतः–

1. जाल में अपनी वरीयता क्रम के अनुसार अपना जवाब दें।
2. रेडियो जासूसी से बचनें के लिये एक समय में कम से कम अवधि के लिये संचारण करें।
3. यदि आपके द्वारा संचारण नही किया जा रहा हो, तो ऐसे समय में अपने माईक्रोफोन के स्विच को बन्द न करें।
4. जब आप संचारण करना चाहते है। तब पीटीटी स्विच् दबाने से पहले नेट पर सुने यदि कोई संचारण न हो रहा हो तो तब अपना संचारण करें।
5. नियंत्रण स्टेशन से प्राप्त आदेशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाये रखें।
6. संचारण के लिये हमेशा RHYTHM का ध्यान रखें।
7. शत्रु को सूचना न मिल जाये इसके लिये हमेशा कूट चिन्हों का प्रयोग करें।

9. PT AND DRILL

9.1 PT (पी.टी)

पीटी का इतिहास

1- पीटी को सबसे पहले 480 ई पू. में यूनान देश में तथा लिटिंग जॉन ने शुरु किया था।
2- सन् 1860 ई पू में भारत में कर्नल फोक्स ने पीटी की जानकारी सूडान देश से प्राप्त की।

पीटी के फायदेः–

1. शरीर के अन्दर गतिशीलता पैदा होती है।
2. शरीर में तेजी व फुर्ती आती है।
3. शरीर मजबूत बनता है।
1. शारीरिक क्षमता के लिए
4. खून की गति ठीक चलती है।
5. मिलकर काम करने की आदत बनती है।
6. पसीना बाहर निकलने से शरीर स्वच्छ रहता है।

पीटी के उसूलः– शरीर के हर एक हिस्से को बराबर व्यायाम देना।
दर्जा बाई दर्जा व्यायाम को तरक्की देना।
व्यायाम को लगाातार जारी रखना।

9.2 कवायत (DRILL) जिस कार्य को दो या दो से अधिक व्यक्ति एक तरतीब से करते हैं उसी को कवायत कहते हैं। ड्रिल ही अनुशासन की बुनियाद है।

9.2.1 अनुशासनः किसी भी वर्दीधारी फोर्स में अनुशासन को तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता हैः–

1. लाइन अनुशासन
2. मार्च अनुशासन
3. फायरिंग अनुशासन

9.2.2 कवायत के फायदेः–

1. एक ही वर्ड आफ कमांड पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों/जवानों को काम करने की आदत पड़ जाती है।
2. कवायत के बार–बार अभ्यास से अनुशासन का जवान की आदत में शामिल हो जाना।
3. कवायत (ड्रिल) अनुसार कार्य करने से काम में सुन्दरता व सफलता।

9.2.3 वर्ड आफ कमांडः अच्छी कवायत अच्छे कमांड पर निर्भर करती हैः–

1. कॉस्नायरी वर्ड आफ कमांड (Cautionary word of command)
2. एक्सक्यूटिव वर्ड आफ कमांड (Executive word of command)

9.2.4 सावधानः यह कवायद की एक वह हरकत है, जिससे कवायद (ड्रिल) की अन्य सभी हरकतों की शुरुआत होती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी हरकत करवाने के पूर्व जवान या टोली को अलर्ट या सावधान कराया जाता है। जिसमें सावधान के समय जवान अगले आदेश की प्रतीक्षा में निर्धारित सुविधाजनक स्थिति में खड़ा रहता है।

अपने से वरिष्ठ किसी भी अधिकारी को सम्मान देने के लिए अथवा उनसे वार्तालाप करते हुए सावधान की स्थिति में रहा जाता है।

सावधान होना यह प्रकट करता है कि– हमें जो आदेश दिया जा रहा है उसे हम एकाग्रचित हो कर सुन रहे हैं तथा पालन करने के लिए अनुशासित, तैयार, आतुर तथा तत्पर हैं।

9.2.4.1 पोजीशन: सावधान के हुक्म पर सिर और गर्दन सीधी, निगाह का गौर सामने 100 गज पर। कंधे और सीना चौरस, उभरा हुआ। दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई तथा पैर के पंजे 30 अंश के कोण पर खुले हुए।

9.2.5 विश्राम: कवायद की यह भी एक हरकत है। कवायद की सभी हरकतों में शरीर के विभिन्न अंगों को काफी समय तक एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है, जिससे जवान थक जाते हैं और ढीली अथवा गलत हरकत करने लगते हैं। ऐसे समय कार्यवाही को रोककर क्षणिक मानसिक और शारीरिक आराम देने के लिए, विश्राम की पोजीशन अख्तियार करवाई जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में पैरों तथा हाथों को थोड़ा आराम मिल जाता है।

विश्राम की पोजीशन भी एक सतर्कतापूर्ण स्थिति का द्योतक है जिसमें शरीर के अंगों का अनावश्यक संचालन निषिद्ध है।

9.2.5.1 पोजीशन: विश्राम के हुकम पर सिर और गर्दन सीधी, निगाह का गौर अपनी उंचाई पर सामने। कंधे और सीना चौरस उभरा हुआ।

9.2.6 आराम से: विश्राम की स्थिति भी एक सख्त स्थिति है जिसमें ज्यादा देर तक खड़े रह पाना मुश्किल है, ऐसे में शरीर को थोड़ा सा आराम देना जरुरी हो जाता है जो 'आराम से' का हुक्म देकर दिया जाता है।

9.2.7 खुली लाइन:

उद्येश्य:

1. निरीक्षण के लिए
2. आर्म ड्रिल के लिए

9.2.8 मार्च करना:

9.2.8.1 कदमों के बीच फासला व मार्च करने की गति

1. तेल चाल में	30" का फासला
2. लम्बे कदम में	33" का फासला
3. दौड़ चाल में	40" का फासला
4. छोटे कदम में	21" का फासला
5. बगली कदम में	12" का फासला

1. धीरे चल में एक मिनट में	70 कदम
2. तेज चल में एक मिनट में	120 कदम
3. दौड़ चल में एक मिनट में	180 कदम जो 200 गज के बराबर
4. बगली चाल में चलने का समय	तेज चाल के बराबर

9.2.8.2 मार्चिंग करते समय जवानों की स्थिति:

1. मार्च करते समय सिर व शरीर की स्थिति
2. हाथों की स्थिति
3. पांव की स्थिति
4. फासला और सिधाई का ध्यान
5. ड्रेसिंग व कवरिंग का ध्यान।

9.2.9 सैल्यूट (SALUTE)

9.2.9.1 सैल्यूट के प्रकारः–

1. बिना शस्त्र के
2. शस्त्र के साथ

9.2.9.2 बिना शस्त्र के सैल्यूटः–

1. सामने सैल्यूट
2. संदेश के साथ सैल्यूट
3. दाहिने व बांए सैल्यूट

9.2.9.3 राइफल के साथ सैल्यूटः–

1. सामने सैल्यूट
2. संदेश के साथ सैल्यूट
3. दांए व बांए सैल्यूट

9.3 RIFLE DRILL

9.3.1 सावधान: सावधान के हुक्म पर सिर और गर्दन सीधी, निगाह का गौर सामने 100 गज पर। कंधे और सीना चौरस, उभरा हुआ। दाहिना हाथ सीधा, अंगुलियों और अंगूठे का हुक बनाकर राइफल को उपर से पकड़े हुए। बायां हाथ बाईं तरफ पैंट की सिलाई से मिला हुआ, मुट्ठी कुदरती बंद। राइफल दाहिने पहलू में बदन से सटी हुई। राइफल की टो बट जूते की टो से मिली हुई तथा स्लिंग, मैगजीन सामने की ओर। दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई तथा पैर के पंजे 30 अंश के कोण पर खुले हुए।

9.3.2 विश्राम: विश्राम के हुक्म पर सिर और गर्दन सीधी, निगाह का गौर अपनी उंचाई पर सामने। कंधे और सीना चौरस उभरा हुआ। बांया हाथ बांई रान से मिला हुआ, सीधा, मुट्ठी कुदरती बंद। दाहिने हाथ से रायफल को पकड़े हुए। रायफल कंधे की सीध में दाहिना हाथ पूरा सामने खिचा हुआ। दोनों पैर दाहिने, बांए इस तरह खुलें कि उनके बीच 12'' का फासला।

9.3.3 आराम से: आराम से के हुक्म पर बाकी पोजीशन विश्राम की कायम रखते हुए दाहिने हाथ को आउटर बैण्ट के पास से खिसका कर फोरसाइट प्रोटेक्टर के नीचे पकड़े हुए।

9.3.4 बाजू शस्त्र से कंधे शस्त्र: कंधे शस्त्र के हुक्म पर रायफल बांए कंधे पर बांए हाथ से पकड़कर रखी हुई, इस तरह कि बैरल पीछे और बट आगे। रायफल की बैरल 45 अंश के कोण पर कंधे पर रखी हुई। स्लिंग और मैगजीन बाई और बांए हाथ की चारों अंगुलियां रायफल के बट को उपर से तथा अंगूठा बाई ओर से लपेटकर पकड़े हुए। कोहनी बटन से लगी हुई, कोहनी से कलाई तक का भाग जमीन के समानान्तर। बाकी पोजीशन सावधान पोजीशन की तरह होगी।

9.3.5 कंधे शस्त्र से बाजू शस्त्र: बाजू शस्त्र के हुक्म पर राइफल को सीख अनुसार दाहिने हाथ से पकड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हुए।

राइफल को लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंच जाने पर अथवा शस्त्र कवायद की विभिन्न हरकतों को कर चुकने के बाद जवान को आवश्यक आराम देने के लिए राइफल को कंधे शस्त्र से बाजू शस्त्र की हालत में लाकर विश्राम करवाया जाता है।

9.3.6 कंधे शस्त्र से सलामी शस्त्रः सम्मान देने का यह भी एक तरीका है, परन्तु इस तरह से सम्मान विशेश अवसरों पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों को ही दिया जाता है, इस तरह से सम्मान प्राप्त करने वाले पदाधिकारी निम्नांनुसार हैंः–

1. राष्ट्रीय नेता या विदेश से पधारे सम्मानीय अतिविशिष्ट अतिथि।
2. सेना के मेजर या उनसे वरिष्ठ पदाधिकारी एंव पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी या उनसे वरिष्ठ अधिकारी।
3. राष्ट्रीय ध्वज आरोहण तथा अवरोहण के समय।
4. गार्ड ड्यूटी पर चढ़ने तथा उतरने वाली टोलीयां।
5. सशस्त्र टोली जो संतरी के सामने से गुजरे।

सलामी शस्त्र के हुक्म पर राइफल को बदन के बीचों बीच दाहिने हाथ से इस तरह पकड़े हुए कि चारों अंगुलियां दाहिनी तरफ से तथा अंगूठा बांई तरफ से स्माल आफ दी बट को पकड़े हुए। हाथ बदन से लगा हुआ सीधा। बांए हाथ की कोहनी से कलाई तक का भाग मुड़ा हुआ, राइफल को आउटर बैण्ड से 4 अंगुल नीचे हथेली से बीचों बीच इस तरह पकड़े हुए कि अंगुलियां सामने से पीछे की ओर तथा अंगूठा बांई तरफ मज़ल की ओर रुख किए हुए। दाहिने पैर का कटाव वाला भाग बांए पैर की एड़ी से मिला हुआ, दाहिना पैर चाल की हालत में। राइफल की बैरल उपर तथा बट नीचे।

9.3.7 सलामी शस्त्र से कंधे शस्त्रः सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान देने के उपरांत सामान्य स्थिति में आने के लिए राइफल को कंधे शस्त्र की पोज़ीशन में लाया जाता है। कंधे शस्त्र का हुक्म मिलने पर राइफल बांए कंधे पर बांए हाथ की मदद से टिकी हुई, बाकी शरीर के अंग सावधान की मुद्रा में।

9.3.8 बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्रः कंधे शस्त्र से सलामी शस्त्र की तरह।

9.3.9 सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्रः सम्मानीय व्यक्ति को सम्मान दे चुकने के बाद सामान्य स्थिति में आने के लिए राइफल को बाजू शस्त्र की पोजीशन में लाया जाता है।

9.3.9.1 पोजीशन का बयानः– बाजू शस्त्र का हुक्म प्राप्त होने पर राइफल के साथ सावधान की पोजीशन अख्तियार कर खड़े हुए।

9.3.10 बाजू शस्त्र से भूमि शस्त्रः जब हम राइफल लेकर खड़े हों तथा अचानक कोई ऐसा कार्य आ जाए जो खुले हाथों करना हो और नज़दीक राइफल टिकाने के लिए रैक, दीवार या आड़ न हो तो राइफल को भूमि शस्त्र कर ज़मीन पर लिटाना होता है।

9.3.10.1 पोजीशन का बयानः–भूमि शस्त्र पर रायफल दाहिने जूते के पास इस जमीन पर लिटाकर रखी हुई कि बैरल आगे, बट पीछे, स्लिंग और मैगजीन दाहिनी तरफ।

9.3.11 भूमि शस्त्र से उठा शस्त्रः भूमि पर रखे हुए शस्त्र को उठाने के लिए यह कार्यवाही की जाती है जिससे हम शस्त्र कवायद की अन्य हरकतें कर सकें।

9.3.11.1 पोजीशन का बयानः– उठा शस्त्र के हुक्म पर शस्त्र के साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हुए।

9.3.12 लगा संगीनः बेनेट फाईटिंग के प्रशिक्षण के समय, गार्ड माउटिंग के समय या संतरी ड्रिल के प्रदर्शन के समय हमें संगीन लगाने की आवश्यकता होती है।

9.3.12.1 पोजीशन का बयानः– 'लगा संगीन' का आदेश प्राप्त होने पर रायफल में संगीन लगा कर सावधान खड़े हुए।

9.3.13 उतार संगीनः संगीन लगाकर की जाने वाली कार्यवाही समाप्त हो जाने पर संगीन को उतार कर वापस बैनेट फ्राक में लगा स्केवर्ड में रखने की जरुरत होती है या नज़दीक दुश्मन न होने पर संगीन उतारकर रख ली जाती है।

9.3.13.1 पोजीशन का बयान :– उतार संगीन के हुकम पर बिना संगीन लगी राइफल को दाहिने हाथ से पकड़कर सावधान की पोजीशन अख्तियार किये हुए।

9.3.14 बाजू शस्त्र से बगल शस्त्रः जब राइफल को लेकर हमें थोड़ी दूर का फासला तय करना हो अथवा जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, वह कंधे शस्त्र या तोल की पोजीशन से राइफल लेकर गुजरने की इजाजत न देती हो तब इस पोजीशन को अख्तियार कर फासला तय करते है।

9.3.14.1 पोजीशन का बयानः– दाहिने हाथ से राइफल को दाहिने बाजू में इस तरह पकड़े हुए कि मध्य वाली अंगुली ट्रिगर गार्ड के अंदर, कलमें वाली अंगुली तथा अंगूठा मैगज़ीन को पकड़े हुए तथा शेष दोनों अंगुलियां नीचे की ओर, राइफल की बैरल कंधे से लगी हुई तथा बट नीचे की ओर। स्लिंग, मैगज़ीन सामने की ओर। बाकी शरीर सावधान की पोजीशन में।

9.3.15 बगल शस्त्र से बाजू शस्त्रः आवश्यक फासला तय कर लेने पर थम करते ही राइफल को बाजू शस्त्र की पोजीशन में लाया जाता है।

9.3.15.1 पोजीशन का बयानः– बाजू शस्त्र का हुक्म प्राप्त होने पर राइफल के साथ सावधान की पोजीशन अख्तियार कर खड़े हुए।

9.3.16 स्लिंग ढीलः राइफल लेकर जब लम्बी दूरी तक जाना होता है तब स्लिग ढील की कार्यवाही करके लटका शस्त्र की पोजीशन अख्तियार करने हेतु इसकी जरुरत पड़ती है।

9.3.16.1 पोजीशन का बयानः– स्लिग ढील के हुक्म पर राइफल की स्लिग को ढीली करके सावधान पोज़ीशन में खड़े हुए।

9.3.17 स्लिंग कसः राइफल से जब लटका शस्त्र के अलावा, शस्त्र कवायद की अन्य हरकतें करनी होती हैं तब स्लिंग कसा होना जरुरी है। शस्त्र प्रशिक्षण का सबक समाप्त हो जाने पर पुनः 'स्लिंग कस' की कार्यवाही कराई जाती है।

9.3.17.1 पोजीशन का बयानः– स्लिग कस के हुक्म पर रायफल की स्लिग को कस कर सावधान की पोजीशन में खड़े हुए।

9.3.18 बट सैल्यूट सामने सैल्यूटः सम्मान देने का यह भी एक तरीका है, इस तरह से सम्मान सेना के मेजर रैंक से नीचे के अधिकारियों तथा पुलिस एंव नागरिक प्रशासन के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी और उनसे कनिष्ट अधिकारी को दिया जाता है।

9.3.18.1 पोजीशन का बयानः– 'सामने सैल्यूट–सैल्यूट' के हुक्म पर रायफल कंधे शस्त्र की पोजीशन होगी, दाहिने हाथ की गदेली लार्ज बट पर रखी होगी, अंगुलियां तथा अगूंठा आपस में मिले होगें। कोहनी उठी होगी।

9.3.19 राइफल के साथ चलते–चलते सैल्यूट करनाः राइफल के साथ जब तेज चाल से मार्च कर रहे हो तो अपने से सीनियर सैल्यूट लेने वाला अधिकारी आपके सामने दाहिने या बांए नजर आये या उससे बात करनी हो तब चलते–चलते राइफल के साथ सैल्यूट की कारवाई की जाती है।

Annexure - I

The Bombay Home Guards Act, 1947 (Bombay Act NO. III OF 1947) As
Extended To The Union Territory Of Delhi
Bombay Act NO. III Of 1947

(THE BOMBAY HOME GUARDS ACT,1947)
An Act to provide for the constitution of Home Guards

Whereas it is expedient to provide a volunteer organization for use in emergencies and for the purposes in the State of Bombay. It is hereby enacted as follows :-

1. Short title, extent and commencement -

(1) This Act may be called the Bombay Home Guards Act, 1947.
(2) It extends to the whole of the Union Territory of Delhi.
(3) It shall come into force at once.

2. Constitution of Home Guards and appointment of Commandant General and Commandant -

(1) The Chief Commissioner of Delhi shall constitute for the Union Territory of Delhi a volunteer body called the Home Guards, the members of which shall discharge such functions and duties in relation to the protection of persons the security of property and the public safety as may be assigned to them in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Provided that the Chief Commissioner of Delhi may, by notification in the Official Gazette, divide the Union Territory of Delhi into two or more areas and constitute such a volunteer body for each such area.

(1-A) Omitted.

(2) The Chief Commissioner of Delhi may appoint a Commandant of each of the Home Guards constituted under sub-section (1).

(3) The Chief Commissioner of Delhi shall appoint a Commandant General of the Home Guards in whom shall vest the general supervision and control of the Home Guards throughout the Union Territory of Delhi and until a Commandant is appointed under sub-section (2), the Commandant General may also exercise the powers and perform the functions assigned to the Commandant by or under this Act.

3. Appointment of members -

(1) Subject to the approval of the Commandant General, the Commandant may appoint as members of the Home Guards such number of persons, who are fit and willing to serve, as may from time to time be determined by the Chief Commissioner of Delhi, and may appoint any such member to any office of command in the Home Guards.

(2) Not withstanding anything contained in sub-section (1) the Commandant General may, subject to the approval of the Chief Commissioner of Delhi, appoint any such member to any post under his immediate control.

(3) Omitted.

4. Functions and duties of members -

(1) The Commandant may at any time call out a member of the Home Guards for training or to discharge any of the functions or duties assigned to the Home Guards in accordance with the provision of this Act and the rules made thereunder.

(2) The Commandant General may in an emergency call out a member of the Home Guards for training or to discharge any of the said functions or duties in any part of the Union Territory of Delhi.

5. Powers, protection and control -

(1) A member of the Home Guards when called out under section 4 shall have the same powers and protection as an officer of police appointed under any Act for the time being in force.

(2) No prosecution shall be instituted against a member of the Home Guards in respect of any thing done or purporting to be done by him in the discharge of his functions or duties as such member except with the previous sanction of the District Magistrate.

6. Control by officers of police force -

The members of the Home Guards when called out under section 4 in aid of the police force shall be under the control of the officers of the police force in such manner and to such extent as may be prescribed by rules made under section 8.

(6-A). Certificate, arms, etc. to be delivered up by person ceasing to be member-

(1) Every person who for any reason ceases to be a member of the Home Guards shall forthwith deliver up to the Commandant or to such person and at such place as the Commandant may direct, his certificate of appointment or of office and the arms, accoutrements, clothing and other necessaries which have been furnished to him as such member.

(2) Any Magistrate, and for special reasons which shall be recorded in writing at the time, any police officer not below the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police may issue a warrant to search for and seize, wherever they may be found, any certificate, arms, accoutrements, clothing or other necessaries not delivered up. Every warrant so issued shall be executed in accordance with the provision of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898), by a police officer or if the Magistrate or the police officer issuing the warrants so directs by any other person.

(3) Nothing in this section shall be deemed to apply to any article which under the orders of the Commandant General has become the property of the persons to whom the same was furnished.

(6-B). Punishment of members of neglect of duty, etc. -

(1) The Commandant shall have the authority to suspend, reduce or dismiss or fine, to an amount not exceeding fifty rupees, any member of the Home Guards, under his control, if such member, without reasonable cause, on being called out under section 4 neglects or refuses to obey such order or to discharge his functions and duties as a member of Home Guards or to obey such any lawful order or direction given to him for the performance of

his functions and duties or is guilty of any breach of discipline or misconduct. The Commandant shall also have the authority to dismiss any member of the Home Guards on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. The Commandant General shall have the like authority in respect of any member of the Home Guards appointed to a post under his immediate control.

(1-A) Notwithstanding any thing contained in this Act, the Commandant shall have the authority to discharge any member of the Home Guards at any time subject to such conditions as may be prescribed, if, in the opinion of the Commandant, the services of such member are no longer required. The Commandant General shall have the like authority in respect of any member of the Home Guards appointed to a post under his immediate control.

(2) When the Commandant General or the Commandant passes an order for suspending, reducing, dismissing or fining any member of the Home Guards under sub-section (1), he shall record such order or cause the same to be recorded, together with the reasons therefore and a note of the inquiry made in writing and no such order shall be passed by the Commandant General or the Commandant unless the person concerned is given an opportunity to be heard in his defence.

(3) Any member of the Home Guards aggrieved by an order of the Commandant may appeal against such order to the Commandant General and any such member aggrieved by an order of the Commandant General may appeal against such order to the Chief Commissioner of Delhi, within thirty days of the date on which he was served with notice of such order. The Commandant General or the Chief Commissioner of Delhi as the case may be, may pass such order as he thinks fit.

(4) The Commandant General or the Chief Commissioner of Delhi may at any time call for and examine the record of any order passed by the Commandant or Commandant General, respectively, under sub-section (1) or (1A) for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order passed by the Commandant or the Commandant General as the case may be, and may pass such order with reference there to as he thinks fit.

(5) Every order if no appeal is made there from as herein before provided and every order passed in appeal or revision under this section shall be final.

(6) Any fine imposed under this section may be recovered in the manner provided by the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) for the recovery of fines imposed by a Court as if such fines ware imposed by a Court.

(7) Any punishment inflicted on a member of the Home Guards under this section shall be in addition to the penalty to which such member is liable under section 7 or any other law for the time being in force.

Explanations - Where the Commandant General while exercising the powers of the Commandant passes any order under sub-section (1) or (1A) -

(i) the appeal from such order shall lie to the Chief Commissioner of Delhi;

(ii) for the purposes of sub-section (4), the power of revision in respect of such order shall vest in the Chief Commissioner of Delhi.

7. Penalty -

(1) If any member of the Home Guards, on being called out under section 4, without reasonable excuse, neglects or refuses to obey such order, or to discharge his functions as a member of the Home Guards, or to obey any lawful order or direction given to him for the performance of his duties, he shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both.

(1-A) If any member of the Home Guard willfully neglects or refuses to deliver up his certificate of appointment or of office or any other article, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 6A, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.

(2) No proceeding shall be instituted under sub-section (1) or (1A) without the previous sanction of the Commandant.

(3) A police officer may arrest without warrant any person who commits an offence punishable under sub-section (1) of (1A).

8. The Chief Commissioner of Delhi may make rules consistent with this Act -

(a) providing for the exercise by any officers of the Home Guards of the powers conferred by section 4 of the Commandant and the Commandant General;

(b) providing for the exercise of control by officers of the police force over members of the Home Guards when acting in aid of the police force;
(c) regarding the organization, appointment, conditions of service, functions, discipline, arms, accoutrements and clothing of members of the Home Guards and the manner in which the may be called out for service;

(d) regulating the exercise by members of the Home Guards of any of the powers exercisable under section 5 of this Act;
(e) generally for giving effect to the provision of this Act.

9. Members of Home Guards to be public servants -

Members of the Home Guards acting under this Act shall be deemed to be pubic servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (XLV of 1860).

9-A. Home Guards not disqualified from contesting elections to the State Legislature or local bodies-

(1) Omitted.

(2) Notwithstanding anything contained in the contrary in any other law for the time being in force a member of the Home Guards shall not be disqualified for being chosen as, and for

being, a member of any local authority merely by reason of the fact that he is a member of the Home Guards.

10. Omitted.

Annexure - II

DELHI HOME GUARDS RULES

Dated the 20th July, 1959.
29th Asadh, 1881(S)

No. F.4/59-C.D.-In exercise of the powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act 1947, as extended to the Union territory of Delhi, the Chief Commissioner of Delhi is pleased to make the following rules namely-

1. Short Title - These rules may be called the Delhi Home Guards Rules, 1959.

2. Definition - In these rules unless the context otherwise requires-

(1) "Act" means the Bombay Home Guards Act of 1947 as extended to the Union Territory of Delhi.
(2) "Chief Commissioner" means the Chief Commissioner of Delhi.
(3) "Commandant " means a Commandant of Home Guards appointed under section 2.
(4) "Commandant General" means the Commandant General appointed under section 2.
(5) "Form" means form appended to these rules.
(6) "Home Guards" means the Home Guards constituted under section 2.
(7) "Member of Home Guards" means a member appointed under section 3.
(8) " Section" means a section of the Act.

3. Appointment of member of Home Guards - No person shall be appointed as a member of the Home Guards unless-

(a) he has attained the age of 20 years.
(b) has not completed the age of 60 years.
(c) he has passed at least the fourth primary examination, and
(d) he has been medically examined in accordance with the directions of the Commandant General and is in the opinion of the Commandant physically fit.

Provided that the Commandant General or the Command at may relax the conditions regarding the age or educational qualification, prescribed in clause (a), (b) and (c) above in suitable cases.

4. Application for appointment - A person desiring to be appointed as member of the Home Guards shall make an application in form 'A'.

5. Home Guards Advisory Committee-

(1) The Chief Commissioner may appoint a committee to be called the Home Guards Advisory Committee for the areas for which the Home Guards have been constituted under section 2.

(2) The Home Guards Advisory Committee shall consist of such members as may be nominated by the Chief Commissioner.

(3) It Shall be the duty of the Home Guards Advisory Committee to review the working of the Home Guards Organization from time to time and to suggest measures regarding the improvement of the Organization.

6. Pledge - Every person before his appointment as a member shall sign a pledge in form 'B' before the Commandant General or an Officer authorized by him for this purpose.

7. Certificate - Every person appointed as member of the Home Guards shall receive a certificate of appointment in form 'C'.

8. Term of Office - The term of office of a member of the Home Guards shall be three years.

Provided that the appointment of any such member may, at any time be terminated by the Commandant General or the Commandant, as the case may be, before the expiry of the term of office -

(a) by giving one month's notice, or

(b) without such notice, if such member is found to be medically unfit to continue as a member of Home Guards.

9. Limit of age for a member of the Home Guards - A member of the Home Guards may continue to be such member until he attains the age of sixty year.

Provided that the Commandant General or the Commandant any relax the age limit in suitable cases.

10. Conditions subject to which power of discharge may be exercised - No member of the Home Guards shall be discharged under sub-section (1-A) of section (6-B) unless the Commandant or the Commandant General, as the case may be, is satisfied that such member has committed an act detrimental to the good order, welfare or discipline of the Home Guards Organization.

11. Resignation - A member of the Home Guards may resign his office by an application in writing addressed to the Commandant General.

Provided that such resignation shall not be take effect unless the Commandant General accepts the same after being satisfied that there are good and sufficient reasons for the same.

12. Organization - In addition to the Commandant General, the Home Guards shall consist of a Commandant and such officers and other ranks as may be considered necessary, by the Commandant General.

13. Powers of the Commandant General and Commandant -

(1) The Commandant General shall exercise general supervision and control over the working of the Home Guards. He shall be directly responsible to the Chief Commissioner of the efficient working, discipline administration, and training of the Organization.

(2) Subject to the supervision and control of the Commandant General, the Commandant shall exercise supervision and control over the working of the Home Guards under his Command.

(3) Subject to the supervision and control of the Commandant General and the Commandant any officer of the Home Guards authorized by the Commandant General in this behalf may exercise the powers conferred by section 4 in such circumstances as the Commandant General may specify.

14. Discipline -

(1) A member of the Home Guards shall obey every order of his superior officer.

(2) For the purpose of administration and discipline the members of the Home Guards shall be under the control of their own officers;

Provided that if a contingent of Home Guards is acting in conjunction with the ordinary police force, in the maintenance of law and order the senior officer of such contingent present shall be under the immediate control and subject to the discretions of the senior officer of such police force present not below the rank of an Inspector.

15. Uniform, accoutrements, etc. - A members of the Home Guards shall while on duty wear the uniform supplied to him. He may also carry rifle or a revolver or any other weapon, sanctioned by the Chief Commissioner from time to time.

16. Training - The members of the Home Guards shall undergo such course of training and at such places as may be determined and fixed by the Commandant General from time to time.

17. Functions and duties -

(1) The functions and duties of members of the Home Guards shall be such as may be assigned by the Chief Commissioner or the Commandant General from time to time.

(2) A member of the Home Guards constituted for any area shall be liable to serve in any other area in which the Act is in force.

18. Compensation - If a member of the Home Guards suffers any damage to his person or property while under training or on duty, he shall be paid such compensation as may be determined by the Chief Commissioner; provided that such damage is not caused by his own negligence or willful act omission in contravention of any of the provisions of the Act or rules made there under or orders or directions issued by his superior officers.

CONTENTS

CHAPTER 1	DELHI HOME GUARDS	1
CHAPTER 2	DELHI CIVIL DEFENCE	7

CHAPTER 3	FIRE FIGHTING	8
CHAPTER 4	FIRST AID	15
CHAPTER 5	RESCUE	33
CHAPTER 6	LAW AND ORDER	41
CHAPTER 7	TRAFFIC CONTROL	50
CHAPTER 8	COMMUNICATION	60
CHAPTER 9	PT AND DRILL	64
Annexure-I	The Bombay Home Guards Act 1947	70
Annexure-II	Delhi Home Guard Rules 1959	75